प्रारूपों की पुस्तिका

प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग

पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2016

भारतीय जनता पार्टी

9 789388 310338

प्रारूपों की पुस्तिका
प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग

9 789388 310338

भारतीय जनता पार्टी
i;f'k{k.k egkfHk;ku 2016
11] v'kksd jksM] ubZ fnYyh& 110001

विषय सूची

1.	भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास	05
2.	एकात्म मानववाद	13
3.	सांस्कृतिक राष्ट्रवाद	17
4.	राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां	24
5.	अर्थायाम	31
6.	विचार परिवार	36
7.	सैद्धांतिक अधिष्ठान	39
8.	सहकारिता	44
9.	पार्टी का वित्तीय प्रबंधन	61
10.	सामाजिक समरसता	65
11.	कार्यकर्ता व्यक्तित्व विकास	74
12.	विदेश नीति	76
13.	सुशासनः कुछ प्रारंभिक बिंदु	83
14.	संगठन एवं सत्ता में समन्वय	86
15.	हमारी कार्यपद्धति	90
16.	वर्ग गीत	95

आमुख

दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक अद्भुत उपक्रम रहा। प्रशिक्षण शिविर मंडल स्तर तक पहुंचे। जिला प्रशिक्षण शिविर भी अधिकांश सम्पन्न हो गये। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत–बहुत अभिनंदन।

यह उपक्रम अब प्रदेश स्तर पर पहुंचा है, इसके बाद अखिल भारतीय प्रशिक्षण शिविर होंगे। प्रदेश शिविरों के लिए विषयों की प्रारूप पुस्तिका आप लोगों के हाथ में है। आशा है इसका समुचित उपयोग होगा।

पी. मुरलीधर राव
प्रभारी
प्रशिक्षण महाभियान

जून, 2016

भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने को कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को कोटला मैदान, नई दिल्ली में एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक–दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो–ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन–युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा–नीत–राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशकों बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता तथा देश के विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक स्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नए राजनीतिक षड्यंत्र को रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का

अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगी। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़ ही गए थे साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय, दिल्ली में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया जहां उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। भारत-चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डट कर विरोध किया। 1967 में पहली पर भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर से कांग्रेस का एकाधिकार टूटा जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन-असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के साथ ही

बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन-असंतोष मुखर हो उठा। 1971में देश पर भारत-पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपात्काल लगाया गया था जो युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू था। इसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबरा कर इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। 25 जून 1975 को देश पर दूसरी बार आपात्काल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपात्काल' के रूप में थोपा गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत अनेक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को भी तेज किया जाने लगा, भूमिगत गतिविधियां भी तेज हो गईं। तेज होते जनान्दोलनों से घबरा कर इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नया राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़ें तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियां भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही आन्तरिक अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियां उठायी

जानी लगी। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को एक नया संगठन भारतीय जनता पार्टी के नाम से घोषणा की गई। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण के लिए निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करती हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतंत्रीय राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग भेद-भाव किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी अंत्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष रूप से सक्रिय है। पार्टी ने पांच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पांच सिद्धांत (पंचनिष्ठा) हैं- राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्व-धर्म समभाव), गांधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त

समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य-आधारित राजनीति।

उपलब्धियां

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर के लिए भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा कर रथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया, फलतः भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। वी.पी. सिंह की सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग पद पर रहते हुए भी उन्होंने लोक सभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत पर सरकार के विरूद्ध मतदान किया।

कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों के दौर से गुजरना पड़ा। 1999 में भाजपा 182 सीटों पर पुनः विजय हुई तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा–नीत–राजग की सरकार बनी।

भाजपा–नीत–राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण विस्फोट, अग्नि–II का प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊंचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, जनवितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नये पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ–साथ महंगाई न बढ़ने जैसी अनेकों उपलब्धियां इस सरकार के खाते में दर्ज है।

भारत–पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर–पूर्व में राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रख देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्षी की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ सबका विकास' उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री

के तौर पर शपथ ग्रहण किया। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनर्स्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया. अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नये युग की शुरुआत की. अंत्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला, आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी पॉलिसी जैसे Per Drop More crop प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। ये नया युग है सुशासन का. चाहे आदर्श ग्राम योजना हो स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वथ्य बनाने का अभियान इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिल रही है। भाजपा की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसे उपायों से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जन–धन योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण का प्रतिकार, परमिट–व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति, पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एक मात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।
- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।
- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता को चुनौती थे। हमारी पार्टी के इस चुनौती का सामना किया।
- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।
- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर, भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब आजादी के आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे। विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था। जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया।
- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाले एकमात्र दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया, उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पं. दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा वहीं विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटलबिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक है। भारतीय लोकतंत्र के अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास है।

विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति के पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त हेता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंच-निष्ठाओं की संगत विचारधारा के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।
- सुशासन : ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी है। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत दो वर्षो से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।◆

एकात्म मानववाद

- भाजपा संविधान की धारा तीन के अन्तर्गत 'एकात्म मानववाद' भाजपा का मूल दर्शन है। पं. दीनदयाल उपाध्याय वे अपने सुदीर्घ चिन्तन, अध्ययन एवं मनन के बाद सन् 1964-65 में विचारधारा के नाते इसका प्रणयन किया।
- पाश्चात्य राजनैतिक चिन्तन ने मानव को 'सेक्यूलरवाद, व्यक्तिवाद (पूंजीवाद) समाजवाद एवं साम्यवाद की विचार धाराएं दी थीं। स्वतंत्र भारत का नेतृत्व भी इन्हीं वादों में भारत का भविष्य खोज रहा था। दीनदयाल जी ने इस खोज में हस्तक्षेप करते हुए यह सवाल खड़ा किया कि जब हमने पाश्चात्य साम्राज्यवाद को नकार दिया, तब अब हमारी क्या मजबूरी है कि हम पाश्चात्य वादों का अनुगमन करें।
- सामान्यतः भारत के राजनैतिक क्षेत्र में स्थापति सभी दल यह सोचते थे कि हमें कुछ संशोधनों के साथ इन पाश्चात्य वादों को ही स्वीकारना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य चिंतन नहीं है। हम तो राष्ट्र थे ही नहीं। पाश्चात्यों ने ही आकर हमको राष्ट्र बनने के लिए तैयार किया है। उनका विचार है हम राष्ट्र बनने जा रहे हैं या हम नवोदित राष्ट्र है, आदि आदि।
- भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी भारत को प्राचीन एवं सनातन राष्ट्र मानती है। पश्चिम की राष्ट्र-राज्य परिकल्पना से पुरानी कल्पना भारत के 'सांस्कृतिक राष्ट्रवाद' की है। भारतीय संस्कृति की एक गौरवसम्पन्न ज्ञान-परम्परा हैं हमें इसी ज्ञान-परम्परा में भारत का भविष्य खोजना चाहिए।
- मानव की तरफ देखने की पाश्चात्य दृष्टि खण्डित हैं उनका व्यक्तिवाद, समाजवाद का दुश्मन है तथा समाजवाद, व्यक्तिवाद

का शत्रु है। वे प्रकृति पर मानव की विजय चाहते हैं, इस प्रकार यहां भी प्रकृति बनाम मानव उनका समीकरण है। सेक्यूलरवाद को अपना कर उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन को अध्यात्म से काट लिया, अतः भौतिकवाद बनाम अध्यात्म, स्टेट बनाम चर्च तथा रिलिजन बनाम सांइस के द्वंद्वमूलक समीकरण वहां उत्पन्न हुये।

- दीनदयाल जी मानते थे कि पश्चिम की यह बहस भी एक मानवीय बहस है, इसे हमें जानना चाहिए तथा इससे कुछ सीखना भी चाहिये, लेकिन हमें इन द्वंद्वमूलक निष्कर्षो का अनुयायी नहीं बनना चाहिये।
- अतः मौलिक भारतीय चिन्तन के आधार पर विकल्प देने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं स्वीकार की। भारतीय जनसंघ की पहली पीढ़ी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। 1959 का पूना अभ्यासवर्ग, 1964 का ग्वालियर अभ्यास वर्ग तथा 1964 के संघ शिक्षा वर्गों के इस दृष्टि से विशेष महत्व है। इन वर्गों में परिपक्व हुये विचारों को दीनदयाल जी ने सिद्धांत और नीति प्रलेख में 'एकात्म मानववाद' नाम से प्रस्तुत किया। 1965 में भारतीय जनसंघ के विजयवाड़ा वार्षिक अधिवेशन में इसे मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया गया तथा 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे अपने मूल दर्शन के रूप में स्वीकार किया।
- यह विचार व्यक्ति बनाम समाज नहीं वरन व्यक्ति और समाज की एकात्मता का विचार है। यह मानव बनाम प्रकृति नहीं वरन मानव के साथ प्रकृति की एकात्मता का विचार है। भौतिक बनाम आध्यात्मिक नहीं वरन इनकी एकात्मता का विचार है। भारत में इसे धर्म कहा गया है 'यतो अभ्युदय निःश्रेयस संसिद्धि सः धर्म।' अर्थात् यह व्यष्टि, समिष्ट, सृष्टि व परमेष्ठी की एकात्मता का विचार है।
- यह विचार दृश्यमान पृथकताओं में एकात्मता के सूत्र खोजता है। संसार में पृथकता नहीं विविधता हैं, जो 'पिंड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' में है। आज मानव अपने को व्यक्ति मान कर अपनी सामाजिक संस्थाओं से युद्ध कर रहा है, परिवार, जाति, वंश, पंचायत सब को अपना दुश्मन मान रहा है। समाजवाद के नाम पर तानाशाहियों का सृजन कर रहा है, विकास के नाम पर प्रकृति से युद्ध कर रहा है, पर्यावरण का विनाश कर भयानक विभीषिकाओं को आमंत्रित कर रहा है। अध्यात्म का निषेध कर भोगेन्द्रियों का गुलाम बन रहा है। सुख की खोज में दुःख कमा रहा है तथा आनंद की अवधारणा से अपरिचित रह रहा है।

- भारतीय परम्परा इन पृथकताओं का निषेध करती है वह जड़–चेतन सभी से अपनी रिश्ते स्थापित करती है। धरती 'माता' है चन्द्रमा मामा है पर्वत 'देवता' है, नदियां 'माता' है। समाज का हर व्यक्ति परस्पर जुड़ा हुआ है, यह संसार परायेपन की जगह नहीं, यह 'वसुधा तो एक कुटुम्ब' है आदि विचार मानव को असम्बद्धता, पृथकता तथा द्वन्द्वशीलता के सम्बंधों से निजात दिलाते है।
- एकात्मता, समग्रता में निहित रहती है। समग्रता के अभाव में खण्ड दृष्टि से मानव आक्रांत होता है। जैसे ब्रह्माण्ड की समग्रता है, वैसे ही व्यक्ति की भी समग्रता है। व्यक्ति अर्थात केवल शरीर नहीं, उसके पास मन है, बुद्धि है और आत्मा भी है। यदि इन चारों में से एक की भी उपेक्षा हो जाये तो व्यक्ति का सुख विकलांग हो जायेगा। इन चारों के पृथक पृथक सुख से व्यक्ति सुखी नहीं होता, उसे तो एकात्म एवं धनीभूत सुख चाहिये जिसे आनंद कहते है।
- वैसे ही समाज केवल सरकार नहीं है, उसकी अपनी संस्कृति है, जन एवं देश है। इन चारों के सम्यक संचालन के बिना समष्टि के सुख का संधान नहीं होता।
- इस प्रकार सृष्टि के पंच–महाभूत (पृथ्वी, जल, आकाश, प्रकाश व वायु) हैं, जिनके साथ न्याय–संगत व्यवहार होना चाहिये तथा अदृश्य किन्तु अनुभूति में आने वाले आध्यात्मिक तत्वों से भी योग्य साक्षात्कार होना चाहिये। तभी मानव सुखी होगा।
- व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि तथा परमेष्ठी से एकात्म हुआ मानव ही विराट पुरुष है। इसके पुरुषार्थ चतुर्यामी है 'धर्म, अर्थ काम और मोक्ष' ये पुरुषार्थ मानव की परिस्थति निरपेक्ष आवश्यकतायें हैं, इनकी सम्पूर्ति करना समाज व्यवस्था का काम है।

धर्म–अर्थात शिक्षा–संस्कार एवं विधि व्यवस्था।

अर्थ–साधन पुरुषार्थ है। धर्मानुसार अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पदान, वितरण एवं उपयोग आदि।

काम–'धर्माविरुद्धो कामोऽहम्' (जो धर्म के अविरूद्ध हैं, मैं वह काम हूं – गीता) समस्त एषणायें इसके अन्तर्गत आती है, उनको सांस्कृतिक उपागम प्रदान करना संगीत एवं विविध कलाओं के माध्यम से एषणाओं को सकारात्मक बनाना। धर्म विरुद्ध काम पुरुषार्थ नहीं, वरन विकार है।

मोक्ष–परम पुरुषार्थ है, जब व्यक्ति अभाव व प्रभाव की कुण्ठाओं से मुक्त हो जाता है। अब इसे कुछ नहीं चाहिये 'विगतस्य कुण्ठः इति वैकुण्ठ।'

यह समस्त भारतीय विचार प्रवचनों का नहीं वरन राष्ट्रनीति एवं राजनीति का विषय होना चाहिये। इसके आधार पर देश की नीतियां बननी चाहिये।

◆

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद

राष्ट्र का अधिष्ठान संस्कृति में ही होता है ।

भारतीय संस्कृति 'भूमि' को माता व 'जन' को संतान के रूप में देखती है । हम पहले ऐसे राष्ट्र हैं जिसकी कल्पना मातृ शक्ति के रूप में हुई । हमारे देश की राष्ट्र चेतना के विस्तार का विवरण हमारे पुराने साहित्यों में, वेदों में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में मिलेंगे। अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में 63 श्लोकों की एक मालिका है, जिसमें इस धरती के साथ हमारा संबंध क्या है, का पूर्ण विवरण है।

माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्या!

अर्थात् पृथ्वी मां का स्वरूप है और मानव उसका पुत्र।

अथर्ववेद के श्लोकों में राष्ट्र का वर्णन इस प्रकार हैः–

भद्र इछन्त ऋशयः स्वर्विदः ।।
तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे रुं ।
ततो राष्ट्र बलं ओजष्च जातम् ।।
तदस्मै देवा उपसं नमन्तु ।

अर्थात् आत्मज्ञाणी ऋषियो ने जगत का कल्याण करने की इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में जो दीक्षा लेकर किया, उससे राष्ट्र का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय बल और ओज भी प्रकट हुआ। इसलिए सब राष्ट्र के सामने नम्र होकर इसकी सेवा करें।

अथर्ववेद में विविधता को भी पहचाना गया। हमारे यहां भिन्न–भिन्न परंपराएं हैं और भिन्न–भिन्न पद्धतियां हैं और भिन्न–भिन्न भाषाएं हैं, और भिन्न–भिन्न जगह है, कहीं जंगल है, तो कहीं हिमआच्छादित पर्वत हैं। हमारे राष्ट्रवाद का मर्म – 'भारत माता की जय' है। वेदों के अलावा वाल्मीकि रामायण में भी राष्ट्र के प्रति गहरी आस्था प्रकट की गई है। प्रसंग है – लंका विजय के बाद जब यह विषय आया कि क्यों न प्रभु राम अपनी सेना समेत वहीं रह जाएं।

तब सोने की लंका दुनिया की संपत्ति की राजधानी थी। लंका कोई गरीब राष्ट्र नहीं था। लेकिन भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अर्थात् हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी है। राष्ट्र की संकल्पना का यह पुरातन साहित्य विश्व में और कहीं नहीं मिलेगा।

विष्णुपुराण में भी राष्ट्र की एक संकल्पना है,

''उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं,
वर्ष तद भारतं नाम भारती यत्र संततिः,''

अर्थात हिमालय के दक्षिण की ओर, समुंद्र के उत्तर की ओर यह एक सम्पूर्ण भारत राष्ट्र है। यह अभिकल्पना दो सौ साल की नहीं है। वेद व्यास जी ने इसे 5000 वर्ष पहले ही लिखा था। यह हमारी जीवंत धारा है,। परंपराओं पद्धतियों और पूजा के माध्यम से, तीर्थयात्राओं के माध्यम से इस राष्ट्र के प्रति एक सम्पूर्ण पवित्रता का जागरण समाज ने किया। भारत की सांस्कृतिक एकता एवं तद्जनित राष्ट्रीयता, नकारात्मक नहीं वरन् विधायक है। आज भी किसी कर्मकांड या अनुष्ठान के लिए हम संकल्प लेते हैं तो भारत राष्ट्र का महात्म्य और भौगोलिक स्थिति का स्मरण जरूर करते हैं–

हरि ओम .... वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविशांतितमे कलियुग कलि प्रथम चरणे।

जम्बू द्वीपे भरत खण्ड भारत वर्षे आर्या वर्तान्तर्ग देशैक पुण्यक्षेत्र षष्टि संवतसराणां..............।

आर्थात् जम्बूद्वीप बहुत ही विशाल भूभाग है, उसके दक्षिणार्ध में 6 विभागों वाला भरत खण्ड़ है उसके लगभग एक खण्ड में आर्यावर्त अथवा वर्तमान भारतवर्ष है। यही नहीं महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ पूरे भारत का भौगोलिक परिचय दिग्विजय वर्णन, तीर्थयात्रा वर्णन एवं स्वयंवर वर्णन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। कोई भी अन्य सभ्यता या साहित्य अपने देश के बारे में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती।

हम अखंड भारत के उपासक हैं। दीनदयाल जी कहते हैं 'अखंड भारत हमारे लिये राजनैतिक नारा नहीं वरन् हमारी श्रद्धा का विषय है। बंगाल के प्रमुख साहित्यकार बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय अपने उपन्यास आनन्दमठ में सन् 1882 में जिस वन्दे मातरम् गीत को सम्मिलित किया था वह आगे चलकर पूरे स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान देश का मुख्य गीत बन गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतमाता

को चारभुजाधारी हिन्दू देवी के रूप में चित्रित किया जो केसरिया वस्त्र धारन किये है और अपने हाथ में पुस्तक, माला, श्वेत वस्त्र तथा धान की बाली लिये हुए है।

स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र को परिभाषित करते हुए कहा था– A nation is a soul, a spiritual principle. Two things, which in truth are but one, constitute this soul or spiritual principle. One lies in the past, one in the present. One is the possession in common of a rich legacy of memories; the other is present-day consent, the desire to live together, the will to perpetuate the value of the heritage that one has received in an undivided form.

यानी राष्ट्र एक आत्मा है! एक आध्यात्मिक सिद्धांत है! वास्तव ये दोनों बातें एक ही हैं। जो आत्मा और आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन करती हैं। एक हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है, और दूसरा वर्तमान है। एक हमारी समृद्ध स्मृतियों की धरोहर है और दूसरा सह अस्तित्व और अखंडित विरासत के मूल्यों साथ रहने की इच्छाशक्ति की सहमति है।

इसके उलट पश्चिम में राष्ट्र की कल्पना पितृ शक्ति के रूप में है। पश्चिम के देशों में न तो ऐसी कोई संकल्पना है और इस प्रकार का कोई इतिहास नहीं है जिसके आधार पर हम अपने देश का विश्लेषण कर सकें। पश्चिम में राष्ट्र राज्य की परिकल्पना रही है और इस परिकल्पना का प्रारंभिक इतिहास ही विवादित रहा है क्योंकि इसके साथ एक सैद्धांतिक सवाल जुड़ा है – पहले अस्तित्व में कौन आया, देश या राष्ट्र राज्य? देश की संप्रभुता के लिए राष्ट्रवादी आंदोलनों की जो आवाजें उठी, उसी को पूरा करने के लिए राष्ट्र राज्य बनाया गया। यानी देश के भीतर ही कई देश।

अमेरिका एक राष्ट्र–राज्य है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में भी अगर राष्ट्र–राज्य की कल्पना है तो उसका क्या इतिहास है? जर्मनी का भी राष्ट्र–राज्य की संकल्पना है। इट्ली भी इसमें शामिल हैं पर चार–पांच सौ साल पहले का इनका कोई ऐसा साहित्य उपलब्ध नहीं है। जबकि हमारे साहित्य और जीवन मूल्यों का इतिहास पांच हजार साल से भी पुराना है। इसलिए भारत भारत के राष्ट्रवाद के बारे में जो संकल्पना हमारी

है उसका उदाहरण न अमेरिका हो सकता है, न इंग्लैंड हो सकता है, न जर्मनी हो सकता है, न इट्ली हो सकता है।

अंग्रेजों का दुष्प्रचार –''भारत पर आर्यो का आक्रमण''

इस पर डॉ.अम्बेडकर ने लिखा है –The language in which reference to the seven rivers is made in the Rig Veda is very significant- No foreigner would ever address a river in such familiar and endearing terms as 'My Ganga, my Yamuna, my Saraswati', unless by long association he had developed an emotion about it- In the face of such statements from the Rig Veda there is obviously no room for a theory of a military conquest by the Aryan race of the non-Aryan races of Dasas and Dasyus-

ऋगवेद में सातों नदियों के बारे में जिस भाव व भाषा में लिखा गया है वह काफी महत्वपूर्ण है। कोई भी विदेशी नदियों को मेरी गंगा, मेरी यमुना और मेरी सरस्वती जैसे आत्मीयत व श्रद्धा भाव से संबोधित नहीं कर सकता जब तक कि उसका इनके साथ लंबा संबध ना रहा हो और उनके प्रति भावनात्मक लगाव ना हो। ऋग्वेद के इस संदर्भ के बाद इस सिद्धांत के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता कि आर्यो ने भारत पर हमला कर गैर आर्यो को अपना दास बना लिया था।

गंगे! च यमुने! चौव गोदावरी! सरस्वति! नर्मदे! सिन्धु! कावेरि! जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।

आज भी हमारे यहां कहीं भी नदी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते समय गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिन्धु और कावेरी का स्मरण करते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हमारे वेदों में उन सभी प्रमुख नदियों का वर्णन है जो भारत वर्ष में बहती रही हैं।

वामपंथी इस यूरोपीय व्याख्या को स्वीकार कर भारत को बहु–राष्ट्रीय देश कहते थे। इसीलिये इस्लामिक मजहब के आधार पर जब द्वि–राष्ट्र का नारा बुलंद हुआ, साम्यवादी लोग मुस्लिम लीग के साथ थे। भारत की सांस्कृतिक एकात्मता पर मजहबी एवं साम्राज्यवादी राजनीति ने आघात किया एवं भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ ।

हमें आत्म–विस्मृत करने के लिए अंग्रेजों ने यह प्रचारित किया कि हम कभी राष्ट्र थे ही नहीं। वे हमारे देश को Nation in

Making की संज्ञा देते थे। उनके अनुसार भारत राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में है। भारत एक देश एवं एक जन नहीं वरन् बहुभाषी, बहुधर्मी एवं बहुसंस्कृति वाला उपमहाद्वीप है। पाश्चात्य जगत ने सांस्कृतिक राष्ट्र के स्थान पर 'राष्ट्र–राज्य' की कल्पना प्रस्तुत की जिसने विश्व को दो महायुद्ध, उपनिवेशवाद एवं अखंड वैश्विक अशांति प्रदान की ।

'राष्ट्र–राज्य' अवधारणा ने पश्चिम को भी कलहकारी राजनैतिक सत्ताओं में बांट रखा है । द्वितीय महायुद्ध के बाद सकारात्मक यूरोपीय राष्ट्रवाद कुछ जोर मार रहा है । महायुद्धों के कड़वे अनुभवों के बाद अब वे यूरोपीय संसद, यूरोपीय बाजार एवं यूरोपीय मुद्रा का निर्माण कर रहे हैं । 'राष्ट्र–राज्यों' में विभक्त यूरोप को 'भू–सांस्कृतिक राष्ट्र' बनने में अभी समय लगेगा । यही स्थिति ' अरब राष्ट्रवाद एवं 'अफ्रीकन राष्ट्रवाद' की है। ये राष्ट्रवाद अभी केवल नारों में है, धरती पर अभी साकार नहीं हुये हैं। भारत में एक शक्तिशाली भू–सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का निर्माण कर विश्व शांति यानी 'वसुधैव कुटुम्बकम्' को साकार करने वाला वैश्विक अभियान हमें चलाना होगा तभी विश्व इस विधायक विचार को समझेगा ।

राष्ट्र की आत्मा चिति

दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे– किसी भी कार्य के गुण–दोषों का निर्धारण करने की शक्ति अथवा मानक चिति शक्ति है। प्रकृति से लेकर संस्कृति तक में उसका सर्वव्यापक प्रभाव है। उत्थान, प्रगति और धर्म का मार्ग चिति है। चिति सृजन है और उसके आगे विनाश ही है। चिति ही किसी भी राष्ट्र की आत्मा है जिसके सम्बल पर ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। चितिविहीन राष्ट्र की कल्पना व्यर्थ है। वही एक शक्ति है जो मार्ग प्रशस्त करती है श्रध्दा और संस्कृति का। राष्ट्र का हर नागरिक इस चिति के दायरे में आता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हित से जुड़ी संस्थाएं भी इसी चिति के दायरे में आती हैं। कोई भी समाज किसी बात को श्रेष्ठ अथवा अश्रेष्ठ क्यों मानता है? जो 'चिति' के अनुकूल हो वो श्रेष्ठ अर्थात् संस्कृति, जो चिति के प्रतिकूल हो वह अश्रेष्ठ अर्थात विकृति। यह चिति जन्मजात होती है, इसके उत्थान–पतन से राष्ट्रों का उत्थान–पतन होता है। अपनी 'चिति' के विस्मरण ने हमें

दूसरों का गुलाम बनाया, चिति के पुनः स्मरण ने आजादी दिलाई।

इकबाल ने कहा–

यूनान मिस्र रोमां, सब मिट गये जहां से ।
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी ।।

स्वस्थ समाज की शक्ति – 'विराट'

यह समाज की अन्तर्निहित एवं प्रतिरोधक शक्ति है। समाज के समस्त घटकों का जन्म 'विराट' से ही होता है। घटकों में पृथकता का भाव 'विराट' को शिथिल करता है । सांस्कृतिक राष्ट्र की नियामिका शक्ति है 'चिति' एवं 'विराट'। जागृत चिति एवं शक्तिशाली विराट राष्ट्र का नियोजन एवं संर्वधन करते हैं।

स्वराज्य एवं सुराज्य

यदि संस्कृति का विचार न हो तो स्वतंत्रता की लड़ाई स्वार्थी एवं सत्ता पिपासा की लड़ाई बन जायेगी। सत्ता पिपासा ने ही भारत की स्वातंत्र्य समर को विपथगामी बनाया और हम विभक्त हो गये। साम्राज्यवादी सत्तातंत्र ही स्वदेशी हाथों से संचालित होता रहा है। इसे सही अर्थों में स्वराज्य एवं सुराज्य बनाना है।

विविधता में एकता

हम एक देश, एक जन तथा एक संस्कृति हैं। भारत की संस्कृति **'एकम् सत् विप्राः बहुधा वदन्ति'** के अधिष्ठान पर विकसित हुई है। यहां विविधता समाज के श्रृंगार का नियामक है, विघटन का नहीं। भारत के सभी पंथ, जाति, भाषा, कला एवं संगीत भारतीय संस्कृति के भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठान पर राष्ट्र नायक अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत भूमि का वर्णन इस प्रकार किया है।

भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र पुरूष है।
हिमालय इसका मस्तक एवं गौरी शंकर शिखर है।
कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं।
विंध्याचल कटि है, नर्मदा करधनी है।
पूर्वी और पश्चिमी घाट, दो विशाल जंघायें हैं।
कन्याकुमारी इसके चरण हैं, सागर इसके पग पखारता है।
पावस के काले काले मेघ, इसके कुंतल केश हैं।
चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं।
यह वंदन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है।

यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।
इसका कंकर –कंकर शंकर है,
इसका बिन्दु–बिन्दु गंगाजल है।

मिश्रित संस्कृति का विचार द्विराष्ट्रवाद एंव बहुराष्ट्रवाद को पुष्ट करता है, अतः यह वर्ज्य होना चाहिये। रसखान, अब्दुर्रहीम खानखाना, मौलाना दाउद, कुतबन, मंझन, मलिक मुहम्मद जायसी, नजरूल इस्लाम तथा कवि मीर तकी आदि मुस्लिम महापुरूषों की एक श्रृंखला है जो भारत की एकात्म संस्कृति के वाहक है। आधुनिक काल में भी श्रीमती एनीबेसेंट, जमशेद जी टाटा, न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला, पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम व मौलाना वहिदुद्दीन खान भी इसी श्रेणी में आते हैं।

भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकात्मता के सूत्र इसके इतिहास, भूगोल, धर्म, दर्शन और संस्कृति में सर्वत्र विपुल मात्रा में विद्यमान हैं। जिन नदी–तटों पर हमारे पूर्वजों ने ऐसा वाङ्मय रचा जो मानव–सभ्यता का मानदण्ड बन गया, जिन पर्वतों की कन्दराएं ऋषियों की तपस्या से धन्य हुई, जो सरोवर उनकी साधना के साक्षी बने, उनके दर्शन और स्पर्ष से तन–मन के पाप–ताप का शमन होता है। इन तीर्थों की यात्रा और उसके माध्यम से होने वाले चारों दिशाओं में अन्तिम छोरों तक सम्पूर्ण देश के दर्शन, देश के कण–कण से जुड़ा पुण्यबोध, सारे देश में व्याप्त समान सांस्कृतिक आचार–व्यवहार को देखकर समस्त देशवासियों के प्रति उत्पन्न होने वाली आत्मीय भावना, कुम्भ जैसे विशाल मेलों के अवसर पर देशभर के लोगों का सान्निध्यवास, साधु–सन्तों और विद्वान् आचार्यो द्वारा दूर–दूर तक भ्रमण करके जगायी जाने वाली आध्यात्मिक चेतना और सम्पूर्ण देश में स्वीकृत समान जीवन–मूल्य ही इस देश को एक राष्ट्र के रूप में अमरत्व प्रदान करते हैं।

इस अनुभूति को राष्ट्र के जन–जन के मन में अंकित करने के लिए यह आवश्यक है कि इन पवित्र नदी–पर्वतादि नैसर्गिक वरदानों, तीर्थों तथा पूर्वजों की महान् स्मृतियों के वाहक स्थलों का परिचय प्रत्येक भारतवासी को हो। इसी उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना हुई है।

◆

राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां

कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज चारों ओर से अनेक चुनौतियों से घिरा है। बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, कन्या भ्रूण हत्या, गरीबी जैसी आंतरिक चुनौतियों से जहां एक ओर देश को जूझना है वहीं बाहरी चुनौतियां भी कम नहीं है। बाहरी चुनौतियां पड़ोसी देशों से ज्यादा है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से चीन बड़ी चुनौतियां पेश कर रहा है। तो हमारी एकता, अखंडता एवं अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान लगातार चोट कर रहा है।

पड़ोस के देशों से अवैध घुसपैठ भी हमारी राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। यूरोप में जिस तरह से शरणार्थी के नाम पर तेजी से घुसपैठ हो रहा है, उससे भारत को सबक लेते हुए संभल जाना चाहिए। ऐसा कुछ देश या आतंकवादी संगठन जान बूझ कर सकते हैं ताकि हमारी जनसंख्या संतुलन बिगड़े और वे अलगाववाद को हवा दें। बंगाल की सीमा से लगे असम के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं।

पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में आ रही नकली मुद्रा भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों की सहायता से चलाए जा रहे हवाला रैकेट के प्रति भी सावधान रहना होगा। हाल ही में देशव्यापी छापों से यह रहस्य खुला कि देश के दुश्मन हवाला काराबारियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये यहां से भेज रहे हैं। आतंकवादी समूहों, हवाला का कारोबारियों और कुछ देश विरोधी गैर सरकारी संगठनों के बीच सांठ–गांठ के सबूत सामने आए हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की साजिश है।

साइबर आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बढ़ गया है। आज दुनिया उसी की मुट्ठी में है, जो पूरी तरह से वायु तंरगों पर नियंत्रण

रखता है। चीन और अमरीका लगातार सेटेलाइट आधारित ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं जिनके जरिए दूसरे देशों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। भारत को अमरीका से कम चीन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन हाल के वर्षो में कई बार हमारे वेबसाइट को हैक कर चुका है। चीन की आईटी कंपनियों पर अमरीका और यूरोप की जासूसी करने का भी आरोप लग चुका है। आने वाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी को भी एक दूसरे पर हावी होने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवाद संगठ्न, उनके आत्मघाती दस्ते और आतंकवाद के खड़े होते नये प्रारूप भी हमारे लिए खतरे की घंटी हैं।

देश में स्थाई विकास की योजना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि का सही प्रबंधन करें। बिना किसी योजना या राजनीतिक कारणों से यदि हम जनसंख्या को यूं ही नजरंदाज तो एक दिन स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देश में युद्ध की स्थिति बन जाएगी।

बाहरी चुनौतियां

- चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद है और ये दोनों पड़ोसी देश हमारे लिए सीमा व घरेलू मोर्चो पर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं।
- चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और इन दोनों ने एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते भारत को चोट पहुंचाने के उद्‌देश्य से आपस में गहरे राजनयिक संबध स्थापित कर लिए हैं।
- दोनों में से कोई भी देश पहले परमाणु अस्त्र के इस्तेमाल नहीं करने की घोषणा करने को तैयार नहीं है, जबकि भारत इसके लिए वचनबद्ध है।
- पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों आतंकवादी मॉडल सक्रिय हैं। पूरा विश्व आज जान चुका है पाकिस्तान आतंकवादियों को उदग्‌म स्थल है और यहां से पूरी दुनिया में आतंकियों को भेज रहा है। भारतीय सीमा के आस पास आज भी

पाकिस्तान आतंकवादी कैंप चला रहा है। वह दाउद इब्राहिम और टाइगर मेनन जैसे भारत विरोधी आतंकवादियों को न सिर्फ अपने यहां पनाह दे रहा है, बल्कि वह शांति प्रक्रिया के लिए हुए हर तरह के समझौते से मुकर जा रहा है।

- पाक प्रायोजित आतंकवाद मॉडयूल पर सतर्कता बरतने, 26/11 हमले के गुनहगारों को भारत लाने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी कई चुनौतियों के कारण भारत को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारा राष्ट्रीय संपत्ति यूं ही जाया हो रही है।
- भारत द्वारा पाकिस्तान को लगातार आर्थिक सहयोग देने और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान कभी भारत को यह दर्जा नहीं देता, जिसके कारण भारत का व्यापार बाधित होता है।
- चीन के साथ हमारा सीमा विवाद काफी समय से चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि चीन इसे हल करने का इच्छुक ही नहीं है। यद्यपि 1962 के बाद भारत चीन सीमा पर कभी कोई गोली बारी नहीं हुई और ना ही कोई विशेष तनाव ही फैला, उसके बावजूद चीन लगातर हथियारों का जखीरा भारतीय सीमा पर इकट्ठा कर रहा है और हमेशा हमारे विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए हुए है। अभी हाल ही में लखवी के मामले में यूएनए में आए प्रस्ताव पर चीन ने पाकिस्तान का ही साथ दिया।
- यद्यपि भारत ने चीन के साथ हमेशा आर्थिक सहयोग की भावना रखी, लेकिन चीन लगातार हमारी आर्थिक हितों को अनदेखा करता रहा, राजनयिक स्तर पर भी और हिंद महासागर के एक देश के रूप में भी।
- चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और भारत के सामुद्रिक हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह हमारे लिए एक और बड़ी चिंता की बात है।
- चीन सीमा पर सड़कों को जाल बिछा कर एक तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका को मदद कर रहा है। इससे हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती मिल रही है।

- जबसे केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भारत सोची-समझी रणनीति के तहत नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इन देशों की यात्रा से एक उचित वातावरण भारत के पक्ष में बना है। भारत अब चीन और पाकिस्तान द्वारा संभावित खतरे से निबटने के लिए अपनी सुरखा और खुफिया स्रोतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम असरदार तरीके से उठा रहा है।

आंतरिक चुनौतियां

माओवाद

- पाकिस्तान और चीन से लगातार सहायता प्राप्त कर रहे माओवादी भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।
- माओवादियों द्वारा की गई हिंसा के कारण अब तक हजारों सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। भारत के लगभग 200 जिलों में फैले अतिवामपंथी विचारधारा के इन अतिवादियों के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है।
- ये माओवादी अब पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों के साथ सांठ-गांठ कर साझा हमले की कोशिश कर रहे हैं।
- पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी संगठन म्यांमार और बांग्लादेश के अपने गुप्त ठिकाने से भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं और उग्रवादी हमले का संचालन कर रहे हैं।

जबरन धर्मांतरण

- धन और बल के सहारे मसीही और जिहादी गतिविधियों चलाकर देश की जनसांख्यिकी ढांचे को बिगाड़ने का षडयंत्र भारत में कई वर्षों से चल रहा है । यह हमारे लिए एक गंभीर आंतरिक खतरा है।
- धर्मांतरण के खेल में देश के बाहर की एजेंसियां भी लगी हैं, जो मुक्त हाथ से धन का और गुंडों का प्रयोग कर रही हैं।
- जबरिया धर्मांतरण एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे हमारा भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है।

- धर्मांतरण हमारे यहां राजनैतिक रूप से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत की कई राजनैतिक पार्टियां या तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर खामोश समर्थन दे रही हैं।
- हमारे कई राज्यों में धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ है कि वहां की जनसांख्यिकी ढांचा पूरी तरह बदल गया है। ऐसे राज्यों के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है जो कभी भी फट सकता है।

गैर सरकारी संगठनों का जाल

- भारत में हजारों ऐसे गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सक्रिय हैं जिन्हें विदेशों से इस बात के लिए ही पैसा मिलता है कि वह यहां के माहौल को बिगाड़े, आर्थिक प्रगति में बाधा पहुंचाएं और खासकर वनवासी क्षेत्रों के लोगों को गुमराह करें।
- केंद्र की सत्ता में आने के बाद भाजपा ने इस मामले में एक कठोर निर्णय लेते हुए अनेक एनजीओं को न सिर्फ काली सूची में डाला बल्कि यह भी निश्चित किया कि विदेशों से जिन एनजीओं को पैसे मिलते हैं उनके कामकाज पर गहरी नजर भी रखी जाए।
- इसके पहले कई ऐसे एनजीओ थे जिन्होंने देश की विकास परियोजनाओं को ही बाधित करने की चेष्टा की, उनमें वनवासी क्षेत्रों में सड़क निर्माण नहर निर्माण और खनिज संपदा तक पहुंचने का काम भी शामिल था। कोदई कोनाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों की परियोजनाओं का विरोध इसका ताजा उदाहरण है।

आर्थिक चुनौतियां

- वर्ष 2015 का सामाजिक–आर्थिक एवं जातिगत जनगणना सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी किस तरह से गरीबी की जिंदगी जीने को विवश है।
- 60 साल के कांग्रेस के शासन में 60 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी बदहाली की स्थिति में है।
- देश की लगभग 75 फीसदी आबादी की मासिक आय 5000 रुपये से भी कम है।

- 30 फीसदी आबादी के लिए आज भी खेती ही एकमात्र जीविका का साधन है।
- परंतु 56 फीसदी ग्रामीण आबादी के पास आज भी कोई भूमि नहीं है।
- लाखों लोग भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं।
- 13 फीसदी से अधिक लोग आज भी कच्चे मकान में रहते हैं।
- 11 करोड़ लोग फटेहाली की स्थिति में हैं।

अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे

- भारत में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक है।
- प्रसव के दौरान मृत्यु की दर भी भारत में काफी अधिक है जो यह बताती है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी नहीं पहुंच रही हैं।
- भ्रूण हत्या एवं शिशु मृत्यु के कारण लैंगिक औसत में बालिकाओं की संख्या कम होती जा रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तप्रदेश में यह औसत खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है।
- इस लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए भाजपा ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का अभियान चलाया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई हैं।
- हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है।
- वैश्वीकरण के नाम पर भारत के उद्योगों और यहां की परंपरा व संस्कृति को दांव पर लगाया जा रहा है।
- भारत को विदेशी सामानों का गोदाम बनाने के कारण हमारे परंपरागत उद्योग व लघु उद्योग खतरे में पड़ गए हैं।
- परंपरागत रूप से भारत के दस कुशल समुदाय जिन्हें हम सामूहिक रूप से विश्वकर्मा कहते थे और जिनमें बढ़ई, बुनकर, सुनार, लुहार, कुम्हार, चर्मकार, निर्माण मिस्त्री और ठठेरा कहते थे, उनके हाथ से काम छिन रहे हैं और अब वे किसी और रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए

हैं। आवश्यकता है कि फिर से इन्हें प्रशिक्षित किया जाए और भारत सरकार के स्कील इंडिया कार्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाए।

– युवाओं के कौशल विकास के द्वारा रोजगार की ओर उन्मुख कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। मुद्रा बैंक भी युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाकर इस समस्या के समाधान के रूप में सामने आया है।

सामाजिक मुद्दे

- भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए क्लीन इंडिया मिशन की शुरूआत की है।
- स्वच्छता के जरिए कई जानलेवा बीमारियों से हम बच सकते हैं।
- गंगा सफाई योजना हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
- इस अभियान को देश की अन्य नदियों से जोड़ने की जरूरत है।
- हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों को अतिक्रमण और गंदगी से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के भवनों और स्थलों की सुरक्षा के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ जल पीने के लिए मुहैया हो।
- हर घर बिजली और स्वच्छ पानी भाजपा सरकारों का लक्ष्य हो।
- देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना भी भाजपा का लक्ष्य है।
- समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं हो सकता बल्कि इस पर असरदार तरीके से अमल और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।

◆

अर्थायाम

मूल भाव

अर्थ के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग को व्यवस्थित करने के लिए अर्थायाम आवश्यक है। भारत ने भौतिक जगत का ही नहीं अर्थ का भी विचार किया है। महर्षि चाणक्य ने कहा – सुखस्य मूल धर्मः। धर्मस्य मूलमर्थः। सुख धर्ममूलक है तो धर्म अर्थमूलक। अर्थ के बिना धर्म नहीं टिकता। यहां धर्म से हमारा अभिप्राय समाज की धारणा से है जो ऐहिक और पारलौकिक उन्नति में सहायक हो। जिसके कारण मानव के कर्मों का निर्धारण होकर वह कर्तव्य की संज्ञा प्राप्त कर ले। जिससे व्यक्ति अपनी सब प्रकार की उन्नति करते हुए समष्ठि के अभ्युत्थान में सहायक हो सके। यह धर्म अर्थ के अभाव में नहीं टिक सकता।

आर्थिक विकास की प्रक्रिया के आरंभ के लिए, अर्थव्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने के लिए तथा राष्ट्र के आधारभूत लक्ष्यों की सिद्धि के लिए राज्य का कर्तव्य है कि वह आर्थिक क्षेत्र में नियोजन, निर्देशन, नियमन, नियंत्रण का सामान्यतः तथा विशेष क्षेत्रों और स्थितियों में स्वामित्व व प्रबंध का भी दायित्व ले।

अर्थ का अभाव व प्रभावः अर्थ के अभाव से तो धर्म का ह्रास होता ही है, अर्थ का प्रभाव भी धर्म की हानि करता है। अर्थ के अभाव और प्रभाव दोनों से आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है। सुसाध्य आजीविका की अप्राप्ति तथा उत्पादन को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए आवश्यक पूंजी की कमी अर्थ का अभाव है। यह बात व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए लागू होती है। अर्थ की साधनता को भुलाकर उसमें आसक्ति, अर्थ से धर्मानुकूल कामोपभोग की इच्छा का, ज्ञान का और शक्ति का अभाव, अर्थ का अनुचित घमंड, समाज में आर्थिक विषमता, मुद्रा का आधिक्य व अवमूल्यन – वे कारण है,

जिनसे अर्थ का प्रभाव मानव की कर्म शक्ति को कुंठित कर अर्थ और श्री के ह्रास का कारण बनता है।

अर्थायाम के उपकम

उत्पादन : हमारा प्रथम लक्ष्य है देश का उत्पादन बढ़ें। साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि उत्पादन का समुचित वितरण भी हो सके, ताकि गरीब समानता का अनुभव कर सकें। साधारणतया आर्थिक उत्पादन प्रकृति व मनुष्यों के सम्मिलित प्रयत्नों का परिणाम होता है। इसलिए राष्ट्रहित में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अधिकतम संभव उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करें। अतः जरूरी है कि उत्पादन के पूर्व हमें आवश्यकताओं का विचार कर लेना चाहिए।

यदि हमारी आवश्यकताएं बदल जाएं तो हमें उत्पादन भी बदलना पड़ेगा। भारत की सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारी आवश्यकताएं इतनी तेजी से बढ़ और बदल रही हैं कि उत्पादन उनके साथ कदम नहीं मिला पाता। इस अंतर के कारण जहां एक ओर बढ़ती हुई जनसंख्या तथा हमारा तेजी से बदलता रहन-सहन का तरीका है वहीं दूसरी ओर उत्पादन प्रक्रिया और अर्थव्यवस्था की गतिशून्यता भी है।

जिन वस्तुओं का हम परंपरागत पैदा करते आ रहे हैं उनकी हमें आज आवश्यकता ही नहीं है। और जिनकी हमें आवश्यकता है उन्हें हम पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जीवन पद्धति से अरूचि तथा दूसरों की नकल और फिर स्वाभिमान शून्य दृष्टिकोण का यह परिणाम है। देशभक्ति और संस्कृति निष्ठा के इस आर्थिक पहलू को हमें आंख से ओझल नहीं होने देना हैं। उत्पादन के लिए प्रकृति का दोहन तो करें लेकिन प्रकृति पर प्रहार न करें।

वितरणः उत्पादन का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। यदि किसी देश के जीवन स्तर का भौतिक दृष्टि से हमें अंदाजा लगाना हो तो इसे प्रारंभ का शून्य बिन्दु मान कर चलना होगा। यदि समाज के किसी भी वर्ग को ये न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो हम उस समाज का जीवन स्तर नकारात्मक मान कर चलेंगे। जितने मात्र से व्यक्ति अपना भरण पोषण करके अन्य श्रेष्ठ मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके

उतना उसे अवश्य प्राप्त हो।

विकेंद्रीकरण : प्रत्येक मनुष्य की व्यक्तिशः आवश्यकताओं और विशेषताओं का विचार करके उसे काम देने पर उसके गुणों का विकास हो सकता है। व्यक्ति चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक केंद्रीयकरण से व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ही केंद्रीकरण के हामी है। पूंजीवाद में धीरे-धीरे मुख्य प्रतियोगिता समाप्त होकर आर्थिक शक्ति पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार स्थापित हो जाता हैं। अमरीका आदि पूंजीवादी देशों में जो बड़े-बड़े औद्योगिक साम्राज्य बसे हुए हैं उनकी आज क्या स्थिति है? वहां व्यवहार व्यक्तियों के साथ नहीं फाइलों के साथ होता है। आर्थिक शक्ति को राज्यों के हाथ सौंपने वाले समाजवाद में भी ऐसा ही होता है। राज्य की नौकरशाही भी यही करती है। परिणाम यह है कि जीवन यंत्रवत होता जा रहा है। मनुष्य का स्थान फाइलें ले रही हैं। मानवता समाप्त होती जा रही है। दोनों व्यवस्थाओं में मनुष्य का विचार होता है तो परिणात्मक आधार पर न कि गुणात्मक आधार पर। जब तक एक-एक व्यक्ति की विशिष्टता, विविधता को ध्यान में रखकर उसके विकास की चिंता नहीं करेंगे तब तक मानवता की सच्ची सेवा नहीं होगी। हमें मनुष्य की कमाई के साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य व वास्तविक जीवन के बीच कोई खाई न रहे। यह विकेंद्रित अर्थव्यवस्था से ही संभव है। सच्चे प्रजातंत्र का आधार आर्थिक विकेंद्रीकरण ही हो सकता है। सिद्धांततः हमें छोटे-छोटे उद्योगों को ही अपनाना चाहिए।

पूर्ण रोजगारः जैसे प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार प्रजातंत्र के लिए जरूरी है वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले यह आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। काम का यह अधिकार बेगार या दास मजदूरी से प्राप्त नहीं होगा। काम प्रथम जीविकोपार्जनीय हो और फिर उसे काम चुनने की स्वतंत्रता हो। यदि काम के बदले में राष्ट्रीय आय का न्यायोचित भाग नहीं मिलता तो उस काम की गिनती भी बेकार होगी। इस दृष्टि से न्यूनतम वेतन, न्यायोचित वितरण तथा किसी न किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है।

अर्थायाम के आधारभूत लक्ष्यः भारत ने बड़े प्रयत्नों के बाद अंग्रेजों से मुक्ति पाई है। यदि आर्थिक समृद्धि का कोई भी कार्यक्रम

हमारी प्रजातंत्रीय पद्धति के मार्ग में बाधक होता है, तो वह हमें स्वीकार नहीं होगा। हमारे जीवन के कुछ सांस्कृतिक मूल्य हैं जो हमारे लिए तो राष्ट्रीय जीवन के कारण परिणाम और सूचक हैं तथा विश्व के लिए भी अत्यंत उपादेय हैं। विश्व को इस संस्कृति का ज्ञान कराना हमारा राष्ट्रीय जीवनोद्देश्य हो सकता है। इस संस्कृति को गंवाकर यदि हमने अर्थ कमाया भी तो वह निरर्थक और अनर्थकारी होगा।

सैनिक सामर्थ्य की अभिवृद्धिः राजनीतिक स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिए राष्ट्र को सैनिक दृष्टि से सक्षम बनाना होगा। इस हेतु हम युद्ध सामग्री के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। यह निर्भरता एक ओर तो हमें दूसरों का कृपाकांक्षी बना देगी, दूसरी ओर युद्ध सामग्री पैदा करने वाले राष्ट्रों के मन में अपने इस सामग्री के बाजार को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सदैव ही युद्ध की विभीषका निर्माण करने का मोह उत्पन्न करेगी। यदि भारत जैसा सामरिक महत्व वाला देश सैन्य दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जाए तो विश्व की शांति को भंग करने की संभावनाएं भी कम हो जाएगी।

आत्म निर्भरताः यह आवश्यक है कि हम आर्थिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनें। यदि हमारे कार्यक्रमों की पूर्ति विदेशी सहायता पर निर्भर रही तो यह अवश्य है कि हमारे उपर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से बंधनकारक होगी। हम सहायता देने वाले देशों के आर्थिक प्रभाव क्षेत्र में आ जाएंगे। अपनी आर्थिक योजनाओं की सफलता पूर्ति में संभव बाधाओं को बचाने की दृष्टि से हमें अनेक अवसरों पर मौन रहना पड़ेगा। जो राष्ट्र दूसरों पर निर्भर रहने की आदत डाल लेता है, उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता हैं। ऐसा स्वाभिमान शून्य राष्ट्र कभी अपनी स्वतंत्रता की कीमत नहीं आंक सकता। यह भी निश्चित है कि बाहर का कोई भी देश हमें हमारे ढंग से उपभोग करने के लिए सहायता नहीं देगा। हमारी योजनाओं की वह छानबीन करेंगे और फिर हमें वह योजनाएं बनानी पड़ेंगी जो चाहे हमारे अनुकूल ना हो। किंतु विदेशी सहायकों के साथ मेल खा सके।

स्वदेशी की भावनाः भारत पर पश्चिम का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। यह निर्णय करना होगा कि यह प्रभाव अच्छा है या बुरा? जब तक अंग्रेज थे तब तक तो हम स्वदेशी की भावना से अंग्रेजियत को दूर रखने में ही गौरव समझते थे, किंतु अब जब अंग्रेज चले गए है

तो वही अंग्रेजियत अब गौरव की वस्तु बन गई हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाश्चात्य राजनीति और अर्थनीति की दिशा को ही प्रगति की दिशा समझते हैं और भारत पर वहां की स्थिति को थोपना चाहते हैं। जो लोग विदेशी जीवन और विचारों को भारत की प्रगति का आधार बनाकर चलना चाहते हैं, वे भी यह भूल जाते हैं कि ये विदेशी विचार एक परिस्थिति विशेष तथा प्रवृत्ति विशेष की उपज है। प्रत्येक देश की अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां होती हैं और उस समय देश के जो भी नेता या विचारक होते हैं, वे उस परिस्थिति में से देश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से मार्ग निर्धारित करते हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से तो हमें अपनी संस्कृति का विचार करना ही होगा, क्योंकि वह हमारी अपनी प्रकृति है। स्वराज्य का स्वसंस्कृति से घनिष्ठ संबंध होता है। संस्कृति का विचार न रहा तो स्वराज की लड़ाई स्वार्थी और पदलोलुप लोगों की राजनीतिक लड़ाई मात्र बन कर रह जाती है। स्वराज तभी साकार और सार्थक होगा जब वह अपनी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बन सकेगा। अतः आज राष्ट्रीय और मानवीय दृष्टियों से आवश्यक हो गया है कि हम भारतीय संस्कृति के तत्त्वों का विचार करें।

◆

विचार परिवार

- 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विचार अधिक सघनता से करने का शुभ अवसर आया।
- रा.स्व.संघ के व्यक्ति निर्माण का कार्य संघ स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में साकार करने का विचार संघ में गतिमान होने का यह समय था।
- 1950 के दशक से इस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ और संघ कार्यकर्ता धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के एक क्षेत्र में स्वायत्त रचना खड़ी करते हुए चलते गये।
- आज की स्थिति में लगभग सभी क्षेत्रों में समान ध्येय एवं विचार-व्यवहार की प्रक्रियायें केंद्र में रखते हुए ऐसे संगटन कार्यरत ही नहीं बल्कि प्रभावी रूप से इस पुनर्निर्माण के कार्य को प्रबल बना रहे हैं।
- इसकी भूमिका बहुत ही स्पष्ट है- राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में ऐसे किसी एक क्षेत्र में- उस क्षेत्र की आवश्यकता तथा स्वरूप के अनुसार जनसंगटन खड़ा करके उस क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन साध्य करने का यह प्रयास है।
- 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई- यह प्रारंभिक प्रयास रहा- उसके पश्चात् एक-एक संगटन का निर्माण हुआ- आज की स्थिति में लगभग 40/42 ऐसे संगठन इस श्रृंखला में विद्यमान हैं।
- रा.स्व.संघ के विचार की पृष्ठभूमि इन संगठनों के सिद्धांत का आधार है- राष्ट्र जीवन का विचार एकात्म भाव से हो, समाज हित सर्वोपरि हो, समर्पित कार्यकर्ता का निर्माण हो, भारतीय परंपरा, इतिहास राष्ट्रपुरुष इनके प्रजा सम्मान और आदर की भावना हो और जिस क्षेत्र में कार्य खड़ा करना है उस क्षेत्र की

समस्याओं को मिटाकर स्वस्थ समाज को साकार करे ऐसी समान भूमिका इस विचार परिवार की आधारशिला है।
- इस विचार परिवार से अपना भावनात्मक संबंध रखकर कार्य करने वाले ऐसे सभी संगठन स्वतंत्र हैं। स्वायत्त है। सबकी कार्यपद्धति संगठन के स्वरूप के अनुसार है और उनका कार्य विस्तार भी बढ़ती मात्रा में दिखाई देता है।
- वास्तव में यह एक अनोखी रचना है- व्यापक रूप से विचारधारा समान है परन्तु भिन्न कार्यपद्धति है। विचार परिवार एक ही है परन्तु नियंत्रण, नियमन और कार्यकर्ताओं का बल अपने-अपने संगठन ने अपने प्रयास से खड़ा किया है।
- शिक्षा, सेवा तथा वंचित समाज के स्थान को कार्यरत संगठनों ने समाजोत्कर्षक बहुत बड़ा कार्य खड़ा किया है। विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती ऐसे उदाहरण प्रेरक हैं। छोटे-बड़े सेवाकार्य, एकल विद्यालय यह परिवर्तन के प्रतिमान बन चुके हैं।
- विचार परिवार के घटक के रूप में जुड़े हुए विविध संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त होते हुए भी सभी में समन्वय रहे, परस्पर-पूरकता रहे और मूल विचार के परिप्रेक्ष्य में विसंगती न रहे ऐसी आज की विद्यमान रचना है।
- बहुत ही प्रभावी रूप से विविध क्षेत्र में सारे संगठन समाज हित में कार्य कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। जैसे कि भारतीय मजदूर संघ आज विश्वभर में होने वाली गणना से क्रमांक एक का संगठन है। अ.भा.वि.परिषद छात्रों के क्षेत्र में सबसे बड़े, अनुशासित संगठन के रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के विचार को क्षेत्र में बड़ा संगठन विश्व हिन्दू परिषद ने खड़ा किया है।
- विचार परिवार की यह रचना आज स्थिर हो चुकी है। ऐसे संगठनों की भूमिका राजनैतिक सत्ता संपादन की नहीं। राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद से प्रतिबद्धता रखने वाले दल प्रति मानस तैयार होता है। यह स्वाभाविक परिणाम होगा। लेकिन किसी संगठन के हित तथा कार्यकर्ताओं का उपयोग दलगत राजनैतिक हितों के लिये करने की परंपरा नहीं है।
- कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुये भी समाज जीवन की दृष्टि से

समान दृष्टिकोण विचार परिवार में स्वाभाविकतः दिखाई देता है जैसे कि समाज का विचार एकात्म भाव से ही हो, समाज जीवन टुकड़ों में बंटा नहीं है तो सभी अंग परस्पर–पूरक है, समरसता यह समाज जीवन के स्वास्थ्य का आधार है, विविधता में एकता का अनुभव है, वर्ण–वर्ग–जाति संघर्ष समाजहित में नहीं है। एक जन–एक राष्ट्र–एक संस्कृति यह समाज जीवन की अनुभूति है, भारतीय समाज मानस मूलतः आध्यात्मिक होने के कारण समष्टि के लिये त्याग की अभिव्यक्ति व्यक्ति मात्र में हो, धर्म कल्पना व्यापक ही है और समाज की धारणा करने वाली है– ऐसे सारे सिद्धांत विचार परिवार के सभी संगठनों ने धारण किये हैं।

- विचार परिवार का यह आविष्कार राष्ट्र के परम वैभव से ही प्रेरित है। मूल प्रेरणा यही है। संगठन के सारे अंतर्गत व्यवहार और कार्यकर्ताओं के परस्पर संबंध सदा स्नेहपूर्ण रहने का मूल कारण समाज ध्येयवाद के प्रति समर्पण का भाव यही है।
- आज समाज जीवन के लगभग सारे क्षेत्रों में ऐसे संगठन कार्य करके एक शक्ति के रूप में संपन्न है। यह शक्ति किसी के विरोध में नहीं, प्रतियोगिता में नहीं या वर्चस्व प्रस्थापित करने के लिये बल्कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से ही प्रेरित है।

◆

सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार या कुछ जातियों की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है, भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाओं और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और यह आत्मविश्वास भी कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है, अपना देश। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भू–भाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है। सभी भारतवासी उसकी संतान हैं। एक मां की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर भाई–बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है; परम वैभव में है मां की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमको मनुष्य के शरीर, मन, बृद्धि और आत्मा का एकात्म (समग्र) विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास–क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गांव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में मां का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकता की चीज़ों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पांच निष्ठाएं वर्णित हैं।

एकात्म मानववाद और यह पांचों निष्ठाएं हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना-बाना बुनती हैं।

(1) लोकतंत्र : विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद के एक मंत्र 'एकम सत् विप्राः बहुधा वदन्ति' उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है। विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से कहते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है - वादे वादे जायते तत्व बोधः। इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्व तक पहुंच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुंचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है।

इन दोनों मंत्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढ़ा-निखारा है, भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को अपनाया है। भाजपा संभवतः अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि कभी चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुंचना सम्भव होता है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, पालिका और पंचायत सभी के काम और ज़िम्मेदारियां बंटी हुई हैं। सब को अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियां भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केन्द्र, राज्य, पालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गांव के लोग पंचायत द्वारा गांव का शासन स्वयं चलाते हैं और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपात्काल में जगजाहिर हुई। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के प्रकृति-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए थे, यहां तक कि जीवन का अधिकार

भी। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) के सभी बड़े नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए तथा अखबारों पर सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानी तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष लड़ा। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल-यातना और काम-धंधे (रोजी-रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था 1977 के आम चुनावों में जनता जनार्दन शक्ति सामने आई और इंदिरा जी की तानाशाह सरकार धराशाई हो गई।

(2) सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभाव : एक समय में पोप और पादरियों का राज-काज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराध-मुक्त होने का प्रमाणपत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरू हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध-आंदोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं है। भारत में धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है उसका राज-धर्म, पिता की क्या ज़िम्मेदारियां हैं, उसे क्या करना चाहिए यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म, पत्नी धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा। वह सभी धर्म, पंथ, पद्धति को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सब के लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ सबका साथ-सबका विकास'' है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

(3) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता : हमारा मानना है कि

भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश–भूमि को देशवासी माता मानता है। उसकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवन–मूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू–मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बांध कर रखा, एकात्म रखा।

(4) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण; जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके : गांधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना है।

दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुंच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गांधी व डॉ. अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह वैषम्य पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वह बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी, फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहां उनके पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त करा कर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते है और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गांधी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। गांधी ने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके

दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गांधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी समझ में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे। दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोज़गार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोज़गारी से एक बड़ा युद्ध लड़ कर "सर्वे भवन्तु सुखिनः" का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है।

हमारे गांधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

(5) मूल्य–आधारित राजनीति : भाजपा ने जो पाचंवा अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य–आधारित राजनीति। एकात्म मानववाद मूल्य–आधारित समाज पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वादे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज–स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य–आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है।

जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आस–पास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान आते हैं, जिनमें लगता है कि हम हर स्तर पर पूरे रूप में सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि यह निष्ठाएं हमारे लिए प्रकाश–स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको यह प्रयत्न करते रहना ज़रूरी है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएं। ◆

सहकारिता

प्राचीन काल में विभिन्न ग्रन्थों एवं साहित्य में सहकारिता का उल्लेख अनुभवों से हुआ जिसका तात्पर्य यह निकला कि 'सारा विश्व एक परिवार है' अतः 'एक साथ रहने की भावना' से 'मिल जुल कर काम करना' की प्रवृत्ति 'एक साथ होना' का बोध आपसी साहचर्य से 'एक सबके लिये-सब एक के लिये' यानी 'वसुधैव कुटम्बकम्' ही संस्कृति एवं सहभागिता है।

बढ़ता हुआ औद्योगिकरण एवं प्रतिस्पर्धात्मक शैली से मनुष्य की आवश्यकताओं में दिन-ब-दिन वृद्धि हुई है और हो रही है। ज्यों-ज्यों सभ्यता का विकास एवं परिवारों में वृद्धि हुई मानव की आवश्यकताएं ही नहीं बढ़ीं अपितु परस्पर सहयोग की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। प्रारम्भिक दौर में व्यक्तियों के समूहों ने मिलकर ऐसी कार्ययोजना बनाई जिसमें एक दूसरे के प्रति सुख-दुख में सहयोगी बन कर बिचौलियों से, दलालों से, जमाखोरों से, कालाबाजारियों से, सूदखोरों से एवं शोषणकर्ताओं से बचा जा सके।

क्योंकि उस समय समाज में अधिकांश व्यक्तियों को यह महसूस होने लगा कि हमारा शोषण हो रहा है। चाहे वह मजदूर हो, कर्मचारी हो, किसान हो, विद्यार्थी हो या व्यापारी हो। बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही थी। श्रम शक्ति की कोई कीमत नहीं रह गई थी, मालिक और अमीर बनता जा रहा था और श्रम करने वाला व्यक्ति बदतर हाल में जीने को मजबूर हो रहा था। गरीब और अमीर के बीच की खाई निरन्तर बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में शोषणमुक्त समतायुक्त समाज की संरचना करने हेतु विचारों का प्रतिपादन हुआ जिसके फलस्वरूप 'सहकारिता' का उदय हुआ।

वर्षों पूर्व में वस्तु विनिमय से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की

पूर्ति करता था। विकास की गति के बढ़ने से धीरे-धीरे मुद्रा चलन एवं एक दूसरे के सहयोग से व्यवस्था चलने लगी। कमजोर वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिये सहकारिता के रूप में प्रारम्भिक दौर में छोटी सहकारी समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया जिसका उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक ढांचा मजबूत करना तथा आमजन में स्वाभिमान और स्वावलम्बन का विश्वास पैदा करना था। जिसका मुख्य ध्येय – वसुधैव कुटम्बकम् की परिकल्पना के साथ 'सारा विश्व एक परिवार है' इस हेतु 'एक सब के लिये सब एक के लिये' की भावना के साथ कार्य करते हुए 'शोषणमुक्त-समतायुक्त' समाज की संरचना बन सके।

सहकारिता के मूल तत्व में जो आधार और दर्शन है उसमें स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहयोग प्रमुख है। सहकारिता व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें कोई ऊंच-नीच, अमीरी-गरीबी का भाव नहीं है। समाज के अन्तिम छोर पर बैठा व्यक्ति भी सहकारिता के माध्यम से नेतृत्व करते हुए सेवा का कार्य कर सकता है। सहकारिता लोकतंत्र की सफलता का प्रमाण है। यही एक ऐसा मंच है जिस पर एकत्रित होकर लोग अपनी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का हल तलाशते है। जिसके परिणामस्वरूप 'अन्त्योदय' और 'सर्वोदय' का सपना भी पूरा हो सके।

सहकारिता सामाजिक संगठन की एक पद्धति है जो एकता, मितव्ययिता, लोकतंत्र, न्याय तथा स्वतंत्रता पर आधारित है। सहकारी आंदोलन एक जन-आंदोलन है जो हमारे विकास प्रयासों में आत्मनिर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम है। सहकारिता का सिद्धान्त उतना ही पुराना है जितना कि मानव समाज। विकासशील देशों के लिये सहकारिता आंदोलन की एक विशिष्ट भूमिका है। आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति का मुख्य आधार सहकारिता है।

सहकारी आन्दोलन –

सहकारी आंदोलन मूल्यों पर आधारित मानवीय आंदोलन है। इससे तात्पर्य है कि मानव मात्र में समानता, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा आत्मनिर्भरता की भावना सहकारिता के बुनियादी मूल्य हैं। सहकारिता मूल में वैचारिक आधार, आर्थिक उद्देश्य एवं सामाजिक लक्ष्य रखती है। इस प्रकार सहकारी मूल्य भी वैचारिक, आर्थिक और सामाजिक धरातल से जुड़े हैं।

दीन, हीन एवं शोषित दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण ही सहकारी आंदोलन का सर्वोच्च आदर्श है। सहकारिता आंदोलन के सूत्रपात का प्राथमिक आधार भी यही रहा है। हमारे देश में भी सहकारिता आंदोलन का प्रारम्भ कमजोर वर्गों द्वारा, समाज के शक्तिशाली वर्ग के शोषण से स्वयं के बचाव हेतु, संघर्ष एवं प्रयासों के फलस्वरूप हुआ है। इस प्रकार सहकारी संस्थाओं को मूलरूप से कमजोर वर्ग के आर्थिक-सामाजिक हितों के रक्षक की भूमिका निभानी चाहिए।

आत्मविश्वास और आपसी सहयोग की भावना ही सहकारिता आंदोलन का मूल आधार है। यहां सबके मिलने का एक ही आधार है-सहयोग, समानता और मानवता। यहां उद्देश्य भी सबका एक ही है-पारस्परिक सहयोग से अपनी शोषण से मुक्ति, अपने हितों की रक्षा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और स्वावलम्बन व आत्मनिर्भरता की दिशा में निरन्तर प्रगति।

सहकारिता आंदोलन की सफलता का रहस्य यह है कि उसके सदस्य बहुत ईमानदार हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, सहकारी कार्यपद्धति को समझकर क्रियान्वयन करने वाले हों और उनके सामने एक निश्चित ध्येय हो क्योंकि सहकारिता के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि भारत में सहकार आंदोलन को सफल होना है जैसा कि उसे अवश्य होना है, तो यह जरूरी है कि जनता का लोक जागरण करें उससे पूर्व प्रशिक्षित देकर शिक्षित किया जाए कि सहकारिता क्या उद्देश्य क्या है?

सहकारिता अनिवार्यतः एक जन आंदोलन है, इसकीकार्यपद्धति लक्ष्य आधारित हो जिससे कि तीव्रगति से यह आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास की ओर अग्रसर होकर उद्देश्य प्राप्ति कर सके।

सेवा सहकारी संस्थाएं स्थापित करके उनके माध्यम से उन्नत बीज, उपयोगी छोटे-छोटे यंत्र, स्प्रे, उपकरण, उर्वरक, कीट, व्याधिनाशक रसायन तथा उन्नत पशु के लिए साधारण ब्याज पर ऋण आदि की सुविधाएं दी जायें, साथ ही उनकी उपज का उचित भाव में विपणन का प्रबन्ध सहकारी विपणन समितियों/संघों द्वारा किया जाये तो कृषि उत्पादन वृद्धि में विशेष सहयोग मिलेगा।

सहकारी संस्था -

सहकारी संस्था के ऐसे शासी निकाय जिसका कोई नाम हो, जिसको संस्था के कार्यो का प्रबन्ध सौंपा जाए - सहकारी समिति से

जानी जाती है।

छोटी-छोटी समितियों के सफल संचालन एवं परिणामों के स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्तियों के समूहों ने नियम-उपनियम बनाकर सहकारी समितियों का गठन किया एवं धीरे-धीरे समय-समय पर सरकारों ने इसे मान्यता देते हुए सम्पूर्ण वैधानिक व्यवस्थाएं की। परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र की इकाई का सम्बन्ध जिले से, जिले का सम्बन्ध राज्य से और राज्य का सम्बन्ध केन्द्र से होने से चौपाल में बैठे व्यक्ति ने देश की राजधानी में जाकर नेतृत्व करने का अवसर सहकारिता के विस्तार के कारण ही मिला है।

हर वर्ग की आवश्यकता अनुसार कई सहकारी समितियों का निर्माण हुआ जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति, वृक्ष उत्पादक सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सहकारी श्रमिक ठेका सहकारी समिति, हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बुनकर सहकारी संघ, तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, उपभोक्ता भंडार, भूमि विकास बैंक, नागरिक बैंक आदि कई सहकारी समितियां हैं। जो ग्रामीण विकास में सहयोगी है। सर्वाधिक, सहकारिता मित्र, मार्गदर्शक एवं सहयोगी के रूप में किसान के लिए पर्याय है।

सहकारी संस्थाओं की सफलता हेतु आधारभूत संरचना की स्थापना, सुदृढ़ एवं सरल वित्तीय प्रबंधन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन की समन्वित एवं लाभप्रद व्यवस्था कायम करना तथा उपभोक्ताओं को एवं उत्पादकों को शोषण से बचाने के लिए सुनिश्चित व्यवस्था कायम करना वांछित है। इसके लिए सभी स्तरों पर निष्ठावान, सुयोग्य एवं कर्मठ सहकारी कार्यकर्ताओं एवं कर्मियों की बहुत भारी आवश्यकता है। इसके लिए सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की व्यापक एवं विस्तारित व्यवस्था अपरिहार्य है।

वर्तमान समय सहकारी क्षेत्र के लिए जहां एक ओर कसौटी का समय है वहां दूसरी ओर यदि हम समय पर सफलता से काबू पा सकेंगे तो सहकारी क्षेत्र के लिए यह नवोदय एवं सुदृढ़ प्रतिस्थापना का समय है। भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल आधार - ग्रामीण क्षेत्र की सम्बल - सहकारिता को भी बदलते परिवेश में नई दिशायें देने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

सहकारी संस्थाओं को वास्तव में सक्षम आर्थिक इकाइयां बनाने के लिए सहकारी क्षेत्र को बहुत संघर्ष एवं प्रयत्नों की आवश्यकता है।

उदारीकरण एवं खुले बाजार की अर्थनीति के समक्ष देश की व्यापक एवं आर्थिक इकाइयां तथा वित्तीय संस्थाएं किस तरह अपना सक्रिय एवं परिणामदायक कार्य करें इसके लिए चिन्तन करना एवं तद्नुसार रणनीति बनाना बहुत आवश्यक है।

सहकारिता : राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित सैद्धान्तिक वक्तव्य :

परिभाषा :

सहकारी समिति व्यक्तियों की एक ऐसी स्वायत्त संस्था है जो संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतंत्रीय आधार पर नियंत्रित उद्यम के जरिये अपनी सामान्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट होते हैं।

मूल्य :

सहकारी समितियों स्वावलम्बन, स्व-उत्तरदायित्व, लोकतंत्र, समानता, साम्यता और एकजुटता जैसे मूल्यों पर आधारित होती हैं। अपने संस्थापकों की परम्परा के अनुसार सहकारी समितियों के सदस्य ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा दूसरे लोगों के हित चिन्तन जैसे नैतिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं।

सिद्धान्त :

सहकारी सिद्धान्त ऐसे दिशा-निर्देश हैं जिनके द्वारा सहकारी समितियां अपने मूल्यों को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है।

पहला सिद्धान्त : स्वैच्छिक और खुली सदस्यता

सहकारी समितियां ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जो सभी लोगों के लिये खुले हैं जो उनकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और लैंगिक, सामाजिक, जातीय, राजनीतिक या धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किये बगैर सदस्यता के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

दूसरा सिद्धान्त : प्रजातांत्रिक सदस्य नियंत्रण

सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित प्रजातांत्रिक संगठन हैं जो उनकी नीतियां निर्धारित करने और निर्णय लेने में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। चुने गए प्रतिनिधियों के रूप में कार्यरत पुरुष तथा महिलाएं अपने सदस्यों के प्रति जवाब-देह होते हैं। प्राथमिक सहकारी समितियों में मतदान करने के समान अधिकार होते हैं (एक सदस्य एक मत) और अन्य स्तरों पर भी सहकारी

समितियां प्रजातांत्रिक तरीके से गठित की जाती हैं।

तीसरा सिद्धान्त : सदस्य की आर्थिक भागीदारी

सदस्य समान अंशदान करते हैं और अपनी सहकारी समिति को पूंजी पर प्रजातांत्रिक तरीके से नियंत्रण रखते हैं। कम से कम इस पूंजी का एक हिस्सा आमतौर पर सहकारी समिति की सांझी सम्पति होती है। सदस्यता की शर्त के रूप में अंशदान की गई पूंजी पर सदस्यों को आमतौर पर सीमित प्रतिकार, यदि कोई हो, मिलता है। सदस्य अधिकोश पूंजी को निम्नलिखित किसी एक या सभी प्रयोजनों के लिये आवंटित करते हैं। सम्भवतः आरक्षित निधियां स्थापित करके-जिनका कम से कम एक भाग अभिभाज्य होगा, सहकारी समिति के साथ उनके लेन-देनों के अनुपात में सदस्यों को लाभ पहुंचाकर और सदस्यों द्वारा अनुमोदित अन्य कार्यकलापों में सहायता देकर अपनी सहकारी समिति का विकास करना।

चौथा सिद्धान्त : स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता

सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित एवं स्वावलम्बी संस्थाएं होती हैं। यदि वे सरकार सहित अन्य संगठनों के साथ करार करती है अथवा बाहरी स्रोतों से पूंजी जुटाती हैं तो वे ऐसा उन शर्तों पर करती हैं जिनसे उनके सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित होता हो और उनकी सहकारी स्वायत्तता भी बनी रहती हो।

पांचवा सिद्धान्त : शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना

सहकारी समितियां अपने सदस्यों, चुने गये प्रतिनिधियों, प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अपनी सहकारी समितियों के विकास में कारगर योगदान कर सकें। वे आम जनता विशेष रूप से युवाओं और राय देने वाले नेताओं को, सहकारिता के स्वरूप और लाभों के बारे में सूचना देती है।

छठा सिद्धान्त : सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग

सहकारी समितियां अपने सदस्यों की सर्वाधिक कारगर ढंग से सेवा करती है और स्थानीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संघों के जरिये साथ-साथ काम करके सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाती है।

सातवां सिद्धान्त : समुदाय के प्रति निष्ठा

सहकारी समितियां अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के जरिये अपने समुदायों के निरन्तर विकास के कार्य करती है।

शोषणमुक्त-समतायुक्त समाज

भारतीय संस्कृति का मूल सहकारिता है। सहकारिता आन्दोलन के जरिये हमें समाज में सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव लाना है परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि आमजन में सहकारिता के प्रति विश्वास पैदा हो, सभी की सहभागिता हो, कार्यप्रणाली पारदर्शितापूर्ण हो, नेतृत्व पूर्ण ईमानदार एवं निष्ठावान हो तभी शोषणमुक्त-समतायुक्त समाज की संरचना में सहकारिता संजीवनी होगी।

हिन्दुस्तान की 70 फीसदी आबादी गांवों में निवास करती है। आज भी 70 फीसदी से अधिक लोगों की आमदनी का सहारा खेती है। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऊंचा उठे क्योंकि आर्थिक स्थितियां अनुकूल होगी तो सामाजिक परिस्थितियां भी अनुकूल होगी जिससे गांवों में आर्थिक एवं सामाजिक सामंजस्य सुदृढ़ कड़ी के रूप में कार्य करेगा। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उत्थान हो, सहकारिता ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखकर, अन्त्योदय के लक्ष्य को प्राथमिकता पर रखकर कार्यपद्धति विकसित की जाए, जिससे शोषणमुक्त समाज स्थापित हो सके।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के शोषण से बचाने का एकमात्र माध्यम सहकारिता ही है। इसके लिए सहकारिता आंदोलन को साफ सुथरा बनकर आम जनता की विश्वसनीयता अर्जित करनी होगी। इसका कई सहकारी संस्थाओं ने अपनी कार्यपद्धति एवं सफलता से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ऐसी सहकारी संस्थाओं ने व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ गांवों की संरचना में सुधार, सुदृढ़ता से जो उन्नति की है उससे समाज का हर वर्ग चाहे युवा हो, महिला हो सभी को प्रभावित किया है। हर वर्ग को जब उन्नति प्रदान हुई तो उत्थान भी मिला परिणामस्वरूप समतायुक्त समाज से सामाजिक सरोकार भी एकता के प्रतीक बने हैं।

सहकारिता ही एकमात्र क्षेत्र है जहां पर निर्वाचित व्यक्ति अपनी सोच से निर्णय करते हैं। सार्वजनिक हित को ध्यान में रख कर जब उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं तो स्वतः ही शोषणमुक्त-समतायुक्त समाज की रचना सार्वजनिक एवं व्यावहारिक रूप से परिलक्षित हो जाती है।

आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का बहुमूल्य योगदान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सहकारिता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता ने वर्तमान में ग्रामीण निवासियों को कृषि सम्बंधी तथा अन्य आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध कराने का उपयुक्त माध्यम बन चुकी है।

सहकारिता से अन्त्योदय

अन्त्योदय समाज की अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय और उत्थान है। वहीं सहकारिता सामूहिकता के भाव से किया हुआ वह सद्-प्रयास है जिससे ऐसे समाज में खड़े हुए अनेकोनेक व्यक्तियों का उदय और उत्थान निहित है।

हम व्यक्तिगत और संस्थागत अपने प्रयास से किसी भी एक व्यक्ति का या समूह का जिनको आज आगे लाना है, उनके उत्थान के लिए, सहयोग से अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रयास कर अनेक उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। कभी मदद और सहयोग से व्यक्ति पीछे से अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा भी हो सकता है। ऐसे अनेक उदाहरण सफलता के हमारे देश में आज भी दिखाई देते हैं। जिन्होंने अपने प्रयास से ऐसे अनेक व्यक्तियों को आज सक्षम एवं अग्रणी बनाया है।

सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जहां समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को यदि उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग कर सामूहिकता के भाव के साथ स्वाभिमान एवं स्वावलम्बन के आधार पर प्रयास कर सभी का उदय एवं उत्थान सहभागिता पर किया जा सकता है।

सहकारिता में अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हाथ में भी नेतृत्व, सर्वस्पर्शीय तथा सामूहिक निर्णय के आधार पर परिश्रम से उत्साहजनक परिणाम समाज को दिये गये हैं। विशेषकर ग्रामीण अंचल में अनेक प्रकार की समितियों ने सहकारिता के माध्यम से ऐसे अनेक व्यक्तियों के आर्थिक उन्नयन एवं सामाजिक समरसता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

कई बार एक व्यक्ति बार-बार प्रयास करता है परन्तु परिस्थितिवश जब वह असफल होता है तब उसका मनोबल टूट जाता है एवं घोर निराशा दिखाई देती है परन्तु जब व्यक्तियों का समूह मिलकर प्रयास करता है तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। बापू ने कहा था – ''बिखरी हुई बूंदें केवल सूख कर खत्म हो जाती हैं। लेकिन यही बूंदें

परस्पर मिलकर महासागर बनाती है।''

ग्रामीण परिवेश में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज भी व्यक्ति संघर्षरत है। दैनिक जीवन में उपरोक्त पूर्ति हेतु व्यक्ति हेतु पूरे समय तक इसी झंझावत में उलझा रहता है। ऐसे एक व्यक्ति के लिए जब स्वयं के स्तर पर उत्थान की उम्मीद कम दिखाई देती है तब सहकारिता एक ऐसा विकल्प है जो समाज में खड़े ऐसे व्यक्तियों के समूह के उत्थान के लिए अंधेरे में प्रकाशमय है।

गांधीजी ने कहा था – ''ग्रामवासी भले ही वस्तुओं को अपने झोंपड़े में बैठकर बनाए, परन्तु उन सब चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है एवं होने वाला लाभ आपस में बांटा जा सकता है। ग्रामवासी किसी की देखरेख में किसी विशेष योजना के अनुसार काम करे। कच्चा माल सार्वजनिक भण्डारों से लिया जाए। यदि सहकारिता से काम करने की भावना ग्रामवासियों में पैदा कर दी जाए तो सहयोग, श्रम विभाजन, समय की बचत और कार्यकुशलता के लिए निश्चय ही काफी अवसर हैं।''

आवश्यकता है ऐसे अन्त्योदय के लिए सहकारिता के माध्यम से होने वाले समस्त प्रयास पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ हो, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी एवं सामूहिकता के भाव को निरन्तर मार्गदर्शन प्रदान किया जाए जिससे कि प्रारम्भिक चरण में उत्साहवर्द्धन के साथ आशानुकूल परिणाम सामने आ सके एवं जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित होगा तो समूह एवं समाज भी लाभान्वित होगा तो निश्चित रूप से सामाजिक-आर्थिक उत्थान स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जैसा कि सन्त विनोबाभावे ने कहा था – ''संसार में मानव ने सहकारी भावना से ही उन्नति की है। सबको ध्यानपूर्वक सोचना चाहिए कि हम घर में कैसा करते है? घर और समाज दोनों एक ही है। यदि घर में सहकार है तो समाज में भी सहकार होगा।

कृषि प्रधान हमारे इस देश में अधिकांश जनसंख्या की बहुतायत गांवों में बसती है जहां साधनों एवं संसाधनों का अभाव है, परन्तु प्रकृति एवं भौगोलिक परिस्थितियों में प्रचुर मात्रा में अनेक ऐसी वस्तु-सामग्री उपलब्ध है जिनके उपयोग से प्रत्येक व्यक्ति की श्रमशक्ति का उपयोग करते हुए सफल निर्देशन में आशाजनक परिणाम सहकारिता दे सकती है।

विशेषकर ऐसे पिछड़े किसान को जो अधिकांश लघु सीमान्त काश्तकार के दायरे में आते हैं यदि उन्हें ऐसे सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित कर प्रशासनिक एवं सहकारी व्यवस्थाओं का प्रारम्भिक दौर में मदद की जाए तो निश्चित रूप से उनका उन्नयन कोई नहीं रोक सकता है। बस आवश्यकता है विश्वास की, श्रम की एवं पूर्ण निष्ठा की।

कृषि के क्षेत्र में आज पेयजल की समस्या और उसकी व्यवस्था, खाद-बीज उन्नत किस्म के मिलना और अच्छी पैदावार देना, उचित समय पर उचित फसल बोना एवं फसल के अनुसार उचित देखभाल करना, जैविक खेती को प्रोत्साहन देना, पैदावार को उचित स्थान पर भण्डारण करना एवं बेचना, फसल बीमा, पशुधन पर विशेष ध्यान देने हेतु अच्छी किस्म के पशु, पशु चिकित्सा, पशु आहार, पशु बीमा आदि पर ध्यान देना आदि कार्य और विशेषकर समय परिस्थिति को ध्यान रखकर ऐसी तकनीकों को अपनाना जो ज्यादा से ज्यादा परिणाम दे सके। इस हेतु सहकारिता के क्षेत्र में अनेक संस्थाओं ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। इसी आशय के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था – ''सहकारी संस्थाओं को सहकारिता की भावना को जिन्दा रखते हुए अपने कामकाज में प्रबन्धन के आधुनिक तौर-तरीकों को अपनाना चाहिए।''

ग्रामोत्थान हेतु आवश्यक है कि शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाए जिससे कि स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्क से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त किया जा सके। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा के कारण अनेक बीज अंकुरित होने से पूर्व ही मुरझा जाते हैं। परिणामस्वरूप वह नव पीढ़ी सदैव निराशा के वातावरण में हतोत्साहित रहती है। आवश्यकता है शिक्षा से वंचित बालकों को शिक्षित किया जाए, खेल एवं योग से बलिष्ठ किया जाए, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, सही दिशा और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए एवं नवीन तकनीक से भी अवगत कराया जाए। सहकारिता के क्षेत्र में ऐसे अनेक सामूहिक प्रयास हुए हैं। जिसके कारण वंचित एवं उपेक्षित वर्ग भी साहस और हिम्मत के साथ आज अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो सका है।

खाद्यान्न के क्षेत्र में असन्तुलित वितरण प्रणाली ने अन्तिम पंक्ति

के व्यक्ति के मुंह से निवाला छिनने का जो कुप्रयास किया है उसके कारण देश में आवश्यकता से ज्यादा अन्न पैदा होने के बाद भी किसान आत्महत्या करता है, गरीब भुखमरी से मरता है। कहीं अन्न गीला होता है, कहीं सड़ता, कहीं भीगता है, कहीं जानवर, कहीं चूहे खा जाते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में दलालों एवं बिचौलियों ने व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है, इसलिए इसके पुनः विश्वास के लिए आवश्यक है कि सहकारी समितियां उत्कृष्ट कार्य करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी के साथ समुचित व्यवस्था करे। जिससे कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय जब ग्रामीणों में हाथ में ही होगा तो न तो दलाल होंगे और न ही बिचौलिये होंगे जिससे कोई भी व्यक्ति देश में ने तो भूखा सोएगा एवं न हीं भूख से मरेगा।

सहकारिता ने सहकारी विकास के परम्परागत क्षेत्रों के साथ-साथ ऐसे अनेक नये क्षेत्रों की तलाश कर सहकारी गतिविधियां प्रारम्भ की जिससे कि युवा एवं महिलाओं को अधिकाधिक रोजगार मिल सके। ऐसी नवीन सहकारी समितियों के कारण बेरोजगार श्रमशक्ति, ताकत एवं उत्साह का इस्तेमाल सही दिशा में होने से आर्थिक पुनरोत्थान का सहकारिता का मूल लक्ष्य प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जहां पूर्व में अनेकानेक सहकारी समितियां आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में गठित होती गई जिनका आकार ग्राम-जिला-राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है। परन्तु नवीन तकनीकी एवं विविध क्षेत्र में दक्षता लिये ऐसे अनेक अवसरों के लिए भी सहकारिता ने अपने द्वारा खोले हैं।

सहकारिता के क्षेत्र में हमारे देश में प्रथम सहकारी कानून सन् 1904 से लागू होने से अब तक अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 तक विविध सहकारी समितियों ने प्रत्येक क्षेत्र में उच्च कीर्तिमान स्थापित किये हैं। व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के संकल्प के साथ विविध सहकारी समितियां कार्यरत दिखाई दे रही है। जिनमें निम्न समितियां प्रमुख है :-

- **सहकारी उपभोक्ता भण्डार –** उपभोक्ता के क्षेत्र में बिचौलियों एवं दलालों से मुक्ति दिलाते हुए एक ही छत के नीचे समस्त उपभोक्ता वस्तुओं की उचित दर पर उपलब्धता हेतु गठित।
- **ग्राम सेवा सहकारी समिति (पैक्स/जीएसएस) –** कृषकों,

दस्तकारों, लघु एवं सीमान्त कृषकों, ग्रामीणों को कृषि हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे खाद-बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक, औषधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए गठित।
- **वृहद् कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति (लैम्पस) –** कृषकों, आदिवासियों, दस्तकारों, ग्रामीणों एवं कृषि श्रमिकों को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यों को बढ़ाना देने हेतु विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराने हेतु गठित।
- **दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति (डियरी) –** श्वेत क्रान्ति के सूत्रपात से पूर्व दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दूध की उचित कीमत, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि एवं उत्पादन की लागत में कमी, पशु आहार, पशु चिकित्सा, पशु बीमा आदि क्षेत्र में मार्गदर्शन हेतु गठित।
- **क्रय-विक्रय सहकारी समिति –** विभिन्न कृषि उपज की बिक्री हेतु उचित व्यवस्था कराते हुए उचित दरों पर कृषि उत्पादों के क्रय एवं विक्रय हेतु गठित।
- **नागरिक सहकारी बैंक –** शहरी क्षेत्र में स्थापित एक ऐसा सहकारी बैंक जो सदस्यों के खाते खुलवाने, राशि जमा करवाने, राशि निकालने एवं विभिन्न प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाते हुए व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु गठित
- **महिला नागरिक बैंक –** महिलाओं का, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला बैंक जो महिलाओं को स्वावलम्बी-आत्मनिर्भर एवं रोजगारोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से गठित।
- **केन्द्रीय सहकारी बैंक –** किसानों, श्रमिकों, शिल्पकारों, लघु व्यवसायियों तथा विभिन्न स्तरों पर उत्पादक गतिविधियों में संलग्न जनसाधारण को बिचौलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी सामूहिक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर उनका आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करने एवं शोषणमुक्त, स्वावलम्बी एवं सशक्त आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में सहयोग हेतु गठित।
- **भूमि विकास बैंक –** विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रीकरण, कृषि से सम्बन्धित विभिन्न उद्योग एवं कृषि से सम्बन्धित विभिन्न

प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए गठित।

- **जिला सहकार संघ –** सहकारी आन्दोलन के प्रचार–प्रसार, सहकारी प्रशिक्षण, सहकारी साहित्य प्रकाशन, विभिन्न सहकारी सूचनाओं एवं विभिन्न सहकारी खोज एवं अनुसंधान कार्यों हेतु गठित।
- **तिलम् संघ –** तिलहनों के उत्पादन एवं प्रति एकड़ भूमि में तिलहन उत्पादन वृद्धि हेतु, तिलहन फसलों के रख–रखाव, उत्पादन की किस्म एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां उपलब्ध कराना आदि उद्देश्यों के साथ उत्पादित एवं निर्मित वस्तुओं का उचित मूल्य पर विक्रय कराने हेतु गठित।
- **बुनकर सहकारी संघ –** गांवों में बुनकर सदस्यों से गठित ऐसी सहकारी समितियों को कच्चा माल उपलब्ध कराना, श्रम शक्ति के आधार पर निर्मित वस्तुओं का यथास्थान उचित मूल्य पर विक्रय हेतु गठित।
- **जनजाति सहकार संघ –** जनजाति क्षेत्र में उत्पादित होने वाले आयुर्वेदिक, हर्बल आदि जड़ी–बूटियों का समितियों के माध्यम से क्रय–विक्रय कराने हेतु गठित।
- **मत्स्य सहकारी समिति –** झील, तालाब, नहरों आदि स्थानों में मछलियों के उत्पादन में वृद्धि एवं ठेकों के माध्यम से विक्रय करने हेतु गठित।
- **गृह निर्माण सहकारी समिति –** सदस्यों के आवास के लिए भूमि प्राप्त करना एवं सदस्यों में पुनः आवंटित कर गृह निर्माण योजना को क्रियान्वित कराने हेतु गठित।
- **पर्यटन सहकारी समिति –** देश के मानचित्र पर तेजी से उभरते पर्यटन के क्षेत्र में विपुल संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न समितियों के माध्यम से जल–थल–नभ पर मनोरंजन एवं विविध पर्यटन स्थलों के माध्यम रोजगार के नवीन अवसर सृजित करने के साथ–साथ गाईड, विक्रय केन्द्र, टूर एण्ड ट्रावेल्स, गेस्ट हाउस, पैकेज टूर आदि कार्यों हेतु गठित।
- **पेन्शनर्स सहकारी समिति –** सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होने वाली सुविधाओं की उपलब्धता की सुनिश्चितता एवं समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य एवं केन्द्र खोलने

हेतु गठित।

- **पूर्व सैनिक सहकारी समिति –** सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए गठित समिति जो सेवा पश्चात् प्राप्त होने वाली सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सहयोग एवं पुनः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु गठित।
- **कर्मचारी सहकारी समिति –** क्षेत्र संबंधित कर्मचारियों की समिति गठित कर उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाना एवं कर्मचारी हित के लिए कार्य करने हेतु गठित।
- **श्रमिक ठेका सहकारी समिति –** असंगठित श्रमिकों को संगठित कर सहकारी समिति के माध्यम से ठेके प्राप्त करना एवं रोजगार दिलाने के लिए गठित।
- **सहकारी मुद्रणालय –** मुद्रणालय चलाने के माध्यम से विभिन्न प्रकाशन संबंधी कार्यों को करने एवं सदस्यों एवं अन्यों को प्रकाशन उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने हेतु गठित।
- **ईफको/कृभको/आई.एफ.एफ.डी.सी. –** कृषि के क्षेत्र में विशेषकर खाद की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उन्नत खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गठित।

उपरोक्त क्षेत्रों के अलावा भी सहकारिता ने विभिन्न क्षेत्र जैसे बिल संग्रहण सहकारिता, जैविक खेती सहकारिता, घरेलू सेवा सहकारिता, औषधि–वनस्पति सहकारिता, वैवाहिक एवं समारोह व्यवस्था सहकारिता, चारा उत्पादक सहकारिता, निर्माण सामग्री सहकारिता, डिजल व्यवस्था सहकारिता, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनैस सहकारिता, परिवहन सहकारिता, विरासत संरक्षण सहकारिता, सूचना प्रौद्योगिक सहकारिता, निर्यातोन्मुखी सहकारिता, शिक्षा सहकारिता, स्वास्थ्य सहकारिता, मुर्गी उत्पादन सहकारिता, तम्बाकू उत्पादन सहकारिता, विद्यार्थी सहकारिता, सिंचाई सहकारिता, विद्युत सहकारिता, पेट्रो उत्पाद सहकारिता, गन्ना (शुगर मिल) सहकारिता, हैण्डीक्राट उत्पादक सहकारिता आदि कई सहकारी समितियां आज भी समाज के अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों के लिए सफलतापूर्वक कार्य कर अन्त्योदय के माध्यम से समाज में सर्वोदय कर रही है।

सहकारिता

विश्व में रोजगार के अवसरों के प्रारम्भिक दौर में जब–जब उद्योग एवं कल–कारखाने बढ़ने लगे तब कार्यरत व्यक्तियों के समूह को उनके द्वारा किये गये श्रम की उत्पादकता के अनुपात में

परिणाम आशाजनक नहीं लगने पर यह महसूस होने लगा कि हमारी श्रम शक्ति का दुरूपयोग हो रहा है जो वास्तविक मूल्य हमें मिलना चाहिए वह मालिक और मजदूर के बीच में दलाल और बिचौलिये लेकर बिना श्रम के श्रमिकों की मेहनत का दुरूपयोग कर रहे हैं।

उपरोक्त वेदना एवं दर्द आम व्यक्ति या पृथक-पृथक स्थानों पर बिखरा हुआ मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी, युवा आदि वर्ग लम्बे समय से महसूस कर रहा था परन्तु अपनी-अपनी पीड़ा व्यक्त करने का कोई उचित माध्यम एवं यथा स्थान नहीं था। जहां वह अपनी बात को रख सके और कोई पीड़ा को महसूस कर उसका निवारण कर सके।

लम्बे समय तक दलालों, बिचौलियों, जमाखोरों, कालाबाजारियों, सूदखोरों के शोषण से प्रताड़ित होकर व्यक्ति एवं समूह अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगा कि जब हमारी परम्परा में एक सबके लिये सब एक के लिए कार्य करते हैं और एक साथ रहने की भावना और मिलजुल कर काम करने का उद्देश्य रखते हैं तो हमारे साथ दोहरा व्यवहार और शोषण क्यों?

जब आम व्यक्ति को लगने लगा कि हमारी श्रम शक्ति का लाभ दलाल एवं बिचौलिये उठा रहे हैं, श्रम करने वाला और गरीबी के गर्त में जा रहा है और मालिक अमीरी की ऊंचाईयां छू रहा है। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई इस दूरी ने ''सारा विश्व एक परिवार है'' की भावना को मिथ्या साबित कर दिया। ऐसे में साहचर्य एवं सहयोग की भावना से कार्य करते हुए शोषणमुक्त समतायुक्त समाज की रचना हेतु ''सहकारिता'' का प्रादुर्भाव हुआ।

सहयोग और सहिष्णुता प्राचीन काल से ही हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहे हैं। इसलिए सहकारिता के सन्दर्भ में अथर्ववेद का निम्न मंत्र आज भी कितना सार्थक है -

समानीप्रपां सहवंऽन्नभाग,
समानीयोक्त्रे सहवोयुनिज्य।
सम्बल्योनिम्नं सपर्वतार,
नामिमिवा वृत्ता अथर्व वेद।। पेप.5/19/611

अर्थात् एक साथ धन लगाकर सामूहिक श्रम से जो कुछ भी अर्जित होता है, उसका सभी व्यक्तियों में समान भाव से वितरण हो,

अन्न और जल का भी समान भाव से वितरण करें। जिस प्रकार रथ की नाभि से बंधकर आरे उसके चारों ओर लगे रहते हैं, उसी प्रकार आप भी एकता के सूत्र में बंधकर संगठित रूप से चारों दिशाओं में फैलकर कर्तव्य पालन करें।

विश्व में सहकारिता का शुभारम्भ इंगलैण्ड में 1844 तथा भारत में 1904 में इस भावना के साथ प्रारम्भ हुआ कि साधारण वर्ग की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए छोटी-छोटी सहकारी समितियां गठित कर कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा की जाए।

भारत जैसे देश के लिए जहां आर्थिक पिछड़ापन अधिक है और अधिकांश लोगों को जीवन स्तर गरीबी रेखा के नीचे है ऐसे में कृषि प्रधान हमारे देश में सहकारी अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है। जहां हमें सहकारी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए शोषण की व्यवस्था को समाप्त करना एक चुनौती है वहां उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर सीधा लाभ एक-दूसरे को मिले एवं बिचौलियों तथा दलालों का दौर समाप्त हो जिससे कि समाज के अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति को जीवन जीने का हक स्वाभिमान एवं स्वावलम्बन से मिल सके।

सहकारिता के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि पूर्ण निष्ठावान एवं ईमानदार कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज इस हेतु समर्पित होकर सहयोग समानता और मानवता के आधार पर आगे बढ़े।

सहकारिता एक जन आन्दोलन है जिसमें हज़ारों लोगों की अप्रत्यक्ष रूप से भावनाओं के साथ सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा एवं उन्नति परोक्ष रूप से कार्यरत सहकारी नेतृत्व के हाथों में है।

सहकारी नेतृत्व अपनी कार्यप्रणाली पूर्ण पादर्शिता एवं लोकतांत्रिक परम्परा के अनुसार कार्य करते हुए सर्व समाज का प्रतिनिधित्व साथ में लें एवं ''मैं नहीं हम सभी'' की भावना के साथ सर्वमान्य एवं संस्था तथा सदस्य के हितों को ध्यान में रखकर सर्वसम्मत निर्णय करें। समयबद्ध एवं चरणबद्ध कार्य करने वाला सहकारी नेतृत्व सदैव प्रगति करेगा। पारदर्शिता आम सदस्य के लिये एक आइना होगी और आम सभा आपसी सामंजस्य, विचारों के आदान-प्रदान, प्रगति, लेखा-जोखा की खुली पंचायत रहेगी।

सहकारी संस्थाओं के लिए आवश्यक है कि पूर्ण रूप से

लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू की जाए। संस्था की कार्यप्रणाली नियम और उपनियमों के आधार पर संचालित हो संस्था में सहभागिता एवं सहयोग संचालक मण्डल के साथ आम सदस्य की पूर्ण भागीदारी से निःस्वार्थ समाहित होना चाहिए।

सहकारी संस्थाओं को नित नये तकनीकी विषयों को ध्यान में रखते हुए सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण एवं समय-समय पर अनुसंधान को महत्व देना होगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सदैव सावचेत रह कर आगे बढ़ना होगा।

◆

पार्टी का वित्तीय प्रबंधन

1951 से एक छोटे स्वरूप में गठित भारतीय जनसंघ (तत्कालीन) ने आज भाजपा के रूप में भारतीय राजनीति में अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भाजपा एक राजनैतिक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करने में सफल हुई है। 1951 से 2015 यह एक गौरवमय विकास यात्रा है। पार्टी ने ''देशभक्ति सर्वोपरि'' का विचार रखकर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया था। असंख्य लोगों का बलिदान, अथक परिश्रम, सुदृढ़ संगटनात्मक ढांचा एवं प्रखर राष्ट्रवादी नेतृत्व के कारण आप हम 10 से 10 करोड़ की पार्टी बन पाये हैं। कुशल नेतृत्व के साथ-साथ और हजारों कार्यकर्ताओं की अपार मेहनत के कारण हमने जनता में भी एक विश्वसनीयता अर्जित की है। जिसके बल पर पार्टी को प्रारंभ से आज तक संसाधन जुटाने में भी चाहे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो फिर भी पार्टी निरंतर आगे बढ़ती गयी।

आज के अपने चर्चा सत्र का विषय पार्टी का वित्तीय प्रबंधन है, जिसको हमें इस पृष्ठभूमि के आधार पर सोचना होगा। आज समयानुकूल कुछ बातों का ठीक विचार करना होगा एवं तद्नुसार व्यवस्थायें खड़ी करनी होंगी। पार्टी में अलग-अलग विषयों का उचित प्रबंधन हो यह हमारी कल्पना है। उदाहरण के लिये Election Managment, Media Managment, Organizational Managment ..... वैसा ही विषय वित्तीय प्रबंधन का है। वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से पार्टी किसी पर निर्भर न हो, अपनी स्वयं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो साथ-साथ सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सर्वत्र जो दोष दिखाई देते हैं उनसे भी हम दूर रहें, यह भी आवश्यक है। आज सर्वत्र चर्चा Probity in public life की होती है। जिसको ध्यान में रखकर यह भी सोचना होगा कि

पार्टी का वित्तीय प्रबंधन यथासंभव पारदर्शी हो एवं निर्दोष रखने का सतत् प्रयत्न भी हो।

सार्वजनिक जीवन में वित्त का भी असाधारण महत्व रहता है। पार्टी जब छोटे स्वरूप में काम करती थी तब भी एवं आज जब हम केंद्र में सत्तारूढ़ दल है एवं 13-14 राज्यों में हमारी सरकारें है तब भी अपने वित्तीय प्रबंधन के विषय को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

जब हम पार्टी के आर्थिक प्रबंधन के विषय में सोचते है तो कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें विचार करना होगा-

1 केंद्र से लेकर नीचे राज्यों में एवं राज्यों से लेकर नीचे मंडल इत्यादि तक और कल शायद हर बूथ लेवल तक वित्तीय प्रबंधन के विषय को देखने की छोटी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। संवैधानिक भाषा में उसे Finance committee कहा है, पर हमारे समझदारी के लिये एक Small Team खड़ी हो जो इसके सभी पहलुओं पर विचार एवं आवश्यक कार्रवाई एवं निगरानी रखने का काम करे।

2 हर महत्वपूर्ण इकाई अपना वर्ष भर का वित्तीय बजट (Annual Financial Budget) बनाये ताकि हमें कितना खर्चा आने वाला है एवं कितने संग्रह की कब-कब आवश्यकता पड़ेगी यह बात पता चलेगी।

3 कौन से मद पर कितना व्यय आ सकता है इस पर सोचना बहुत आवश्यक है।

4 ''धन संग्रह'' यह धीरे धीरे पार्टी में गौण'' बात हो रही है। जहां सरकारें है वहां भी और जहां हम प्रमुख विपक्षी दल है वहां भी इस पर गंभीरता से सोचना आवश्यक है। पार्टी के लिये धन इकट्ठा करने के स्थान पर व्यक्तिगत धनसंग्रह को प्राधान्य मिलने की बात भी कहीं कहीं पर नजर में आती है। इन सभी बातों को ध्यान में लेकर धनसंग्रह के विषय पर कुछ सामान्य नियम तय होने की आवश्यकता है।

5 धनसंग्रह यानी ''बड़ा धनसंग्रह'' यही विषय सामने आता है। वास्तव में ''लधु संग्रह'' के माध्यम से भी काफी अच्छी राशि सभी के सामूहिक प्रयास से इकट्ठी हो सकती है। हम अपने वर्ष भर के Events Calender में धनसंग्रह को भी स्थान देने की बात अवश्य सोचें। गत कुछ वर्षो में गुजरात, केरल इत्यादि राज्यों ने जो प्रयोग इस दृष्टि से किये हैं उनका काफी अच्छा अनुभव आया है।

6 हम ''आजीवन सहयोग निधि'' का प्रयोग गत कुछ वर्षो से करते आये हैं। आज भी हम आजीवन सहयोग निधि संग्रह की बात करते हैं। पार्टी के संगठन की दृष्टि से जो व्यय है उसी हेतु इस मद में संग्रहित राशि का उपयोग होने वाला है। पार्टी को अपनी संगठनात्मक व्यवस्था के लिये किसी और मदद पर निर्भर न रहना पड़े यही हेतु इस योजना के पीछे है।

7 समय-समय पर होने वाले चुनावों का अलग से सोचना होगा और हम सोचते भी हैं।

8 पार्टी के कई स्थानों पर अलग-अलग Trusts हैं, उनमें भी सुसूत्रता लाने पर केंद्रीय पार्टी विचार कर रही है।

9 धनसंग्रह के साथ-साथ महत्व का विषय है उसका हिसाब (Account) रखने की समुचित व्यवस्था और उसका Audit होना। आज वर्षो के बाद यह ध्यान में आता है कि सभी प्रांतों में प्रांत स्तर पर इसकी अच्छी व्यवस्था बन गयी है पर जिला और मंडल स्तर पर ना हिसाब लिखने की व्यवस्था है ना उसका Internal या External Audit की कोई व्यवस्था है।

10 कौन से मद पर (head) कितना खर्चा हो, कब हो, कैसे हो, कौन करे इत्यादि बातें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक लगता है। आवश्यकता और सादगी, व्यय पर नियंत्रण, पैसे का Show न हो, व्यवस्थायें ठीक भी हो इनको ''विवेक बुद्धि से'' सोचना चाहिये।

11 जिला मंडल या बूथ स्तर के इकाईयों को कई स्थान पर कूपन कलेक्शन की आदत है। पर कहां कितना संग्रह हुआ इसका भी कोई Record नहीं रखा जाता है। Small Collection या कूपन से या रसीद बुक के आधार पर हो, अगर रसीद बुकों का व्यवहार हुआ है तो सारा हिसाब भी इकठ्ठा हो यह आवश्यक है।

12 पार्टी के नाम से कार्यालय आदि निर्माण के विषय चले हैं। जिसकी अलग रूप से व्यवस्था बनायी जा रही है। अतः उसका विचार आज हम नहीं करने जा रहे है, पर कार्यालयों के अलावा भी कई प्रकार की बातें हैं जिन पर व्यय होता है उनका विचार

करना आवश्यक है। साहित्य प्रकाशन, भिन्न–भिन्न प्रकार के अभियान, प्रचार–प्रसार, बैठकों का आयोजन, छोटी–बड़ी सभाओं का आयोजन, धरना–प्रदर्शन इत्यादि सभी पर व्यय होता है। जिस पर ध्यान देना, निगरानी रखना, पूछताछ ये सब आवश्यक बातें हैं।

13 जिला एवं मंडल स्तरों पर Bank Accounts को ठीक रखना, संग्रहित राशि जमा होना, बैंक से उचित नामों के हस्ताक्षर के साथ राशि का निकासी करना, वर्ष भर का पत्रक (Statement) बनाना इत्यादि बातों पर जितना ध्यान देना चाहिये उतना हम नहीं दे जाते। Accounts कितने है, किन के नाम पर है, Authorised व्यक्ति कौन है इत्यादि बाते महत्व की बनती है। मंडल स्तर पर ये बातें ठीक से Maintain करना और अधिक कठिन होता है।

14 पार्टी के प्रकोष्ठ एवं मोर्चो का भी वित्तीय प्रबंधन कैसे होता है इस पर भी राज्य/ जिला/मंडल स्तर पर कुछ विचार करना, उचित व्यवस्था खड़ी करना, इन सभी बातों का योग्य Monitoring होना भी आवश्यक है।

यह बात सही है कि हम एकाध दिन में सारी व्यवस्थायें ना खड़ी कर सकते है ना उन पर ध्यान देकर उनको ठीक कर सकते हैं, पर आज हम वित्तीय प्रबंधन का महत्व समझकर हमारे लिये करणीय क्या है–क्या अकरणीय है इतना समझना आवश्यक है। पार्टी के पास जमा होने वाला एक–एक पैसा ''जनता'' से आता है अतएव उसका Record रखना बहुत आवश्यक है।

◆

सामाजिक समरसता

समरसता शब्द का अर्थ मानसिकता वृत्ति की एकरूपता अथवा तल्लीनता। समरस, समरसता, सामरस्य ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तीनों का अर्थ एक ही होता है। किसी वस्तु विशेष के साथ एकरूप होना इसे समरसता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम जब कभी सिनेमा अथवा नाट्क देखते हैं या किसी किताब को पढ़ते हैं तब उस वस्तुविशेष के साथ हम मानसिक दृष्टि से एकरूप हो जाते हैं। सिनेमा और नाट्क के घट्ना, प्रसंग से हम मानसिक दृष्टि से आंदोलित हो जाते है। मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं होती है, जैसे राग, द्वेष, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध, वात्सल्य, श्रृंगार। जिस कथावस्तु में इस मानवीय भावनाओं की उत्कट अभिव्यक्ति होती है तब उस व्यक्ति के साथ एकरूप हो जाता है। कुछ क्षण के लिए उसे कथावस्तु उसे अपने जीवन का ही एक हिस्सा लगती है। इस प्रकार विचार किया जाए तो समरसता यह मानसिक भावना है और वह वैश्विक है। विश्व के सभी मानवों का यह गुणधर्म है। यह कोई तत्व नहीं है। एक मानसिक–भावनिक विषय है।

समरसता इस विषय के पहले जब सामाजिक शब्द जोड़ा जाता है तब उसका विशिष्ट अर्थ होता है। सामाजिक समरसता का मतलब एक समाज में रहने वाले हम सब लोग मानवीय भावना से समान है और सब के साथ मानवीय दृष्टिकोण से समतायुक्त व्यवहार करना चाहिए। किसी को छोटा अथवा बड़ा नहीं समझना चाहिए। मानवीय एकता का यह विचार बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद के दसवें मंडल में इस

विचार को इन श्लोकों में कहा गया है–

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रममि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि

समानी आकूतिः समाना हृदयानि वाः।

समानमस्तु वो मनो यथावः सुसहाति।

अर्थ–1. आप आपस में एक विचार से मिल के रहिए। एक दूसरे के साथ प्रेमपूर्वक संवाद कीजिए। आपके मन एक बनाकर ज्ञान प्राप्त कीजिए। जिस तरह पुराने लोग एक मत बनाकर ज्ञान प्राप्त करते थे, ईश्वर की उत्तम रीति से उपासना करते थे, उस तरह आप भी एक मत बनाकर आपका कार्य कीजिए।

2. हमारी सबकी प्रार्थना एक समान हो। भेदभाव रहित आपस में मिलन होने दो। अपना मन और चित्त समान हो। मैं आपको एक ही रहस्यपूर्ण मंत्र बताता हूँ और आप सबको एक समान हवि प्रदान कर सुसंस्कृत बना रहा हूँ।

3. आपका संकल्प एक होना चाहिए। आपका हृदय एक समान होना चाहिए। आपका मन एक समान होना चाहिए जिससे आपका आपस का कार्य पूर्णरूपेण संगठित होगा।

समरस व्यवहार का यह अति प्राचीन मंत्र है। भगवान गौतम बुद्ध ने समरसता का व्यवहार कैसे करना चाहिए यह इस प्रकार बताया–

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहं।

अत्तानं (आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्य न घातये।।

जैसा मैं वैसा तू और जैसा तू वैसा मैं, इसलिए किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए और किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दूसरे को सुख देने से हमको भी सुख मिलता है और दूसरों को दुख देने से हमें भी दुख भुगतना पड़ता है। धम्मपद में इसका विस्तृत उपदेश भगवान गौतम बुद्ध ने किया है।

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।। अध्याय 6–29।।

सभी भूतों में आत्मा बसी है और आत्मा में सभी भूतों की बस्ती है, जिसने योगवृत्ति को प्राप्त किया है वह सर्वत्र ऐसा ही समभाव से देखता है।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति।

तस्याहं न प्रणाश्यामि स च मे न प्रणश्यति।।

जो सर्वत्र मेरा अथवा परमात्मा का ही दर्शन करता है और सारी सृष्टि में मुझ को ही भरा पाता है उसका विनाश नहीं हो सकता है।

समरस समाज के लिए यह तत्त्वदर्शन होते हुए भी हिन्दू समाज की रचना आधार चातुर्वर्ण्य रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों में समाज का बंटवारा हुआ। प्रारंभिक काल में गुणकर्मविभागशः यह रचना रही होगी, लेकिन बाद में यह जन्म से बन गई। इस वर्णव्यवस्था से आगे चलकर हजारों जातियाँ बनी। जाति व्यवसाय से जुड़ गई। व्यवसाय जन्म से प्राप्त होने लगे। जातिगत व्यवसाय ही प्रत्येक ने करना चाहिए ऐसा सामाजिक बंधन डाला गया। हरेक जात आगे चलकर एक स्वायत्त समाज रचना बन गई। जाति के कानून बने। जाति में ही विवाह बंधनकारक हो गया। हर जाति अपनी जाति का हित ही देखने लगी। धीरे–धीरे हिन्दू समाज विभिन्न जातियों का संग्रह बन गया। व्यक्ति की पहचान उसकी जाति के आधार पर होने लगी। सामाजिक जीवन में उसका स्थान व्यक्ति किस जाति में जन्मा है इस आधार पर तय किया जाने लगा। अधिकार और सामाजिक सन्मान की श्रेणीबद्ध रचना निर्माण हुई। ब्राह्मणों को उच्च जाति का दर्जा दिया गया और शूद्रों को अत्यन्त कनिष्ठ जाति का दर्जा दिया गया।

इसी जातिप्रथा से अस्पृश्यता की प्रथा का जन्म हुआ। इस जाति में जन्मा व्यक्ति जन्म से अछूत बन गया। जन्मसिद्ध पवित्रता और अपवित्रता का निर्माण हुआ। मनुष्य जन्म से काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, बुद्धिहीन हो सकता है

लेकिन वह अछूत नहीं हो सकता है। अछूतों की बस्ती गाँव के बाहर कर दी गई और सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार से उनको अलग कर दिया गया। उन्होंने कैसे रहना चाहिए, उनके मकान कैसे हो, उन्होंने कौन से कपड़े पहनने चाहिए, उन्होंने क्या खाना चाहिए आदि पाबंदियाँ उन पर लगाई गई। ज्ञान से उनको वंचित रखा गया। हिन्दू समाज और हिन्दू समाज के अंग रहते हुए भी। उनको मन्दिरों से बाहर रखा गया। हिन्दू धर्म ग्रंथों का पठन करने पर प्रतिबंध लगाया गया। महात्मा गांधी जी के शब्दों में अछूतपन यह हिन्दू धर्म का एक कलंक है और बाबासाहब अंबेडकर जी के मतानुसार अछूतपन यह अछूतों के नरदेह पर लगा कलंक है।

जातिभेद और अछूतपन के कारण हिन्दू समाज विघटित हो गया और समाज इस संज्ञा से भी दूर हो गया। समाज का मतलब होता है परस्परावलंबी और परस्परमूलक जीवन जीने वाले लोगों का समूह। हिन्दू समाज के अंदर की जातियाँ सभी हिन्दुओं के मन में एक सामाजिक भाव निर्माण नहीं करती। समाज का बिखराव होने के कारण समाज दुर्बल बन गया और दुर्बल बनने के कारण अन्य संगठित समाज से पराजित होते गया। हमारे दीर्घकालीन दासता के अनेक कारण हैं। इन कारणों में से समाज का जातिगत विभाजन यह भी एक कारण है।

समाज को जातिभेदों से मुक्त कराने के प्रयास मध्यकाल में साधुसंतों ने किए। संत, कबीर, संत रैदास, संत पीपा, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु आदि संतों ने किए। रैदास जी ने कहा–

जाति–जाति में जाति है।

जो केतन के पात।

रैदास मनुष न जुड सके

जब तक जाति न पात।।

संत कबीर ने कहा–

जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ग्यान।

मोल करो तरो तलवार का पडा रहन दो म्यान।।

इसी प्रकार महाराष्ट्र के संत कवियों ने भी जातिभेद, अस्पृश्यता, वर्णभेद आदि का निषेद किया है। परमेश्वर की भक्ति करते समय ऊँचनीचता को कोई स्थान नहीं है, जाति–वर्ण सभी अप्रमाण है, ईश्वर के दरबार में सभी एक हैं, ऐसी आध्यात्मिक समता की प्रस्थापना मध्ययुगीन संतों ने की। इसे आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रजातंत्र भी कहा जाता है जहाँ पर व्यक्ति का मूल्य उसके जन्म जाति के आधार पर किया गया। यह एक प्रकार की अहिंसक आध्यात्मिक क्रांति थी।

इस आध्यात्मिक क्रांति के कारण आध्यात्मिक समरसता निर्माण हो गई लेकिन सामाजिक समरसता निर्माण नहीं हो पाई। परमेश्वर और भक्त के बीच में कोई ऊँचनीच नहीं है इसको मान्यता मिल गई लेकिन सामाजिक क्षेत्र में छोटे–बडेपन का भाव वैसे ही रह गया। सामाजिक समरसता के संदर्भ में सामाजिक रचना में बुनियादी परिवर्तन लाने का महान कार्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किया। उन्होंने सामाजिक समता का विषय रखा और सामाजिक समता के लिए सभी जाति वर्णो को ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए, इस विचार को रखा। उन्होंने कहा कि,

विना विद्या मति गई,

विना मति नीति गई,

विना नीति गति गई,

विना गति वित्त गया,

विना वित्त शूद्र धंस गए,

इतने अनर्थ एक अविद्या के कारण हुए।

सामाजिक समरसता के लिए महात्मा फुले जी ने पाँच बातों का आग्रह रखा। 1. सभी को शिक्षा का मौलिक अधिकार, 2. दुर्बल घटकों के लिए आरक्षण, 3. राष्ट्रकार्य में सभी की सहभागिता, 4. सहभागिता के लिए समान अवसर, 5. सामाजिक विषमता का समर्थन करने वाले धर्मग्रन्थों का खंडन। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने समरसता का विषय इन शब्दों में रखा–हम सबका निर्माता एक परमेश्वर है, उसका समरण करना चाहिए। परमेश्वर निर्मित वस्तुजात

का न्यायपूर्ण उपभोग लेना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आनंदपूर्वक रहना चाहिए, मनुष्यों में भदेभाव नहीं होना चाहिए। सत्य के अनुसार बर्ताव करते हुए धर्मराज्य का निर्माण करना चाहिए। महात्मा फुले जी ने सार्वजनिक सत्य धर्म जनता के सामने रखा।

आज महात्मा फुले जी को 'आद्य समाजक्रांतिकारक' इस संबोधन से गौरवान्वित किया जाता है। महात्मा फुले कृतिशील समाज सुधारक थे। समरसता का कोरा उपदेश उन्होंने नहीं किया। समाज में समता और समरसता आने के लिए जैसा हम बोलते हैं वैसा व्यवहार करना चाहिए यह पाठ उन्होंने अपने जीवन में बताया। अछूतों के लिए उन्होंने अपने घर का कुँआ खुला कर दिया। अछूत छात्र-छात्राओं के लिए उन्होंने स्कूल खोले। पढ़ाने के लिए अपने पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया। सभी समाज के प्रति उनका भाव ममत्वपूर्ण रहा। इसीलिए जनता ने उनको महात्मा यह उपाधि दी।

उन्हीं के कार्य को राजर्षि शाहू महाराज जी ने आगे बढ़ाया। भारत के वे पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने 1902 में अपनी संस्थान की सेवाओं में 50 प्रतिशत नौकरियाँ ब्राह्मणेतर वर्ग के लिए आरक्षित कर दी। शिक्षा का प्रचार हो इस हेतु उन्होंने कोल्हापुर में 20 जातियों के लिए छात्रावास खोले जिसमें अछूत जातियाँ भी थी। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने का कानून भी उन्होंने बनाया। गंगाराम कांबले नामक एक अछूत को उन्होंने कोल्हापुर में होटल खुलवा कर दिया और उस होटल में वे स्वयं चाय पीने को जाते थे। वे कहा करते थे कि, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ उसकी उन्नति की चिंता करना स्वाभाविक है। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि, अपने जाति के बाहर भी बहुत बड़ा समाज है उसकी भी चिंता करनी चाहिए। अपने जाति का अभिमान मर्यादित मात्रा में होना चाहिए। अपने जाति का अभिमान राष्ट्रकार्य के लिए पोषक होना चाहिए।

सामाजिक समरसता के संदर्भ में पू. बाबासाहब अंबेडकर जी का कार्य युगप्रवर्तक कार्य है। बाबासाहब कहते हैं, 'मेरे जीवन विषयक तत्त्वज्ञान तीन शब्दों में प्रकट होता है। स्वातंत्र्य, समता और बंधुभाव

यह वे तीन शब्द हैं। यह तत्त्वज्ञान मैंने फ्रैंच राज्यक्रान्ति से नहीं लिया है। मेरे तत्त्वज्ञान की जडे धर्म में है। इसे मैंने भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्राप्त किया है। मेरे जीवन विषयक तत्त्वज्ञान में स्वातंत्र्य का ऊँचा स्थान है। लेकिन अनिर्बंध स्वातंत्र्य समता के लिए मारक होता है। मेरे तत्त्वज्ञान में समता का स्थान स्वातंत्र्य से ऊपर है। लेकिन उसमें संपूर्ण समता मुझे अभिप्रेत नहीं है क्योंकि अमर्याद समता स्वातंत्र्य के अस्तित्व के आडे आती है। स्वातंत्र्य और समता के अतिक्रमण से सुरक्षा पाने के हेतु निर्बंधों का एक स्थान होता है। लेकिन कानून का स्थान बहुत मर्यादित है। क्योंकि स्वातंत्र्य और समता की रक्षा बंधुभावना ही कर सकती है। सहभाव यह बंधुभाव का दूसरा नाम है और बंधुभाव अथवा मानवता यह धर्म का दूसरा नाम है। सहभाव अथवा धर्म यह पवित्र होता है, इसीलिए इसका पालन करना प्रत्येक का कर्तव्य बनता है।

डॉ. बाबासाहब अंबेडकर जी ने सामाजिक भेदभाव मिटाने के लिए तीन प्रकार के संघर्ष किए। 1. सामाजिक, 2. राजनीतिक और 3. धार्मिक। इन तीनों संघर्षो में उनकी तात्त्विक भूमिका ऊपर दिए गए परिच्छेद में बताई गई है। वे समरसता शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सहभाव इस शब्द का प्रयोग करते है। दोनों में कोई अन्तर नहीं हैं। यह संघर्ष समाज की पुनर्रचना का संघर्ष है। संतों के कार्य से आध्यात्मिक क्षेत्र में समरसता निर्माण हो गई लेकिन सामाजिक क्षेत्र में समरसता लाने के लिए समता और स्वातंत्र्य का अनुभव हर व्यक्ति को होना आवश्यक था। समता के लिए उन्होंने महाड चवदार तालाब का सत्याग्रह किया, कालाराम मन्दिर सत्याग्रह किया। व्यक्ति अंतिम मूल्य है और उसे जन्मतः अहस्तांतरणीय अधिकार प्राप्त होते हैं जिसमें स्वातंत्र्य, समता और अपने सुख की खोज करने का अधिकार सम्मिलित है। इन अधिकारों पर किसी भी प्रकार के कृत्रिम बंधन अथवा रूढ़ि के कारण उत्पन्न हुए कानून आड़े नहीं आ सकते हैं ऐसा उनका मत था।

सामाजिक समता और सामाजिक स्वातंत्र्य सामाजिक बंधुभावना के सिवा स्थायी रूप से आ नहीं सकता और टिक भी नहीं सकता। संविधान के कानून इन अधिकारों की गारंटी देते हैं लेकिन कोई भी

कानून हरेक व्यक्ति के समता अनुकूल और स्वातंत्र्यानुकूल व्यवहार की गारंटी नहीं दे सकता। कानून की यह अंगभूत मर्यादा है। इसलिए सार्वत्रिक बंधुभावना होना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्य की यह नींव है। सार्वत्रिक बंधुभावना निर्माण करना यह संघ का कार्य है। पूज्य डॉ. हेडगेवार जी ने इसकी शुरुआत की तथा पू. गुरुजी और बालासाहब ने इसका दृढ़ीकरण किया। पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन के द्वारा भ्रातृभाव का एक वैश्विक दर्शन रखा है। संघ ने सभी के सामने एक भावनिक विषय रखा है। भारत यह हमारी मातृभूमि है, यह हमारी माता है यह हमको सब कुछ देती है। हम सभी इसके पुत्र हैं। एक माँ के पुत्र होने के कारण हम आपस में भाई-बहन है। हममें कोई ऊँच नहीं कोई नीच नहीं। कोइ छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। एक माता की संतान इस नाते से हम सभी समान हैं। एक माता की संतान इस नाते हममें जन्मना समता है। हम सभी ने समाज को परम आराध्य मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। सुख-दुखों को आपस में बाँटना चाहिए। मैत्री और करुणा भाव सार्वत्रिक होना चाहिए।

समरसता इस युग का मंत्र है। विश्व में जिन राष्ट्रों ने अपनी असीम भौतिक प्रगति की है उसके जड़ में उनकी सामाजिक एकता है। अमेरिका में काले-गोरे का भेद रहा। वे भिन्नवंशीय लोग है। अलगपन रंग से ही दीखता है। हम भारतीयों में इस प्रकार का कोई वांशिक भेद नहीं। अमेरिका में इस भेद को मिटाने का विगत डेढ़ सौ सालों से प्रयास चलाया है। इस प्रयास के कारण बराक ओबामा जो गोरे नहीं हैं अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बन सके। सभी क्षेत्रीय सहभागिता का मंत्र अमेरिका ने व्यवहार में लाया है। अवसर की समानता है। सबको साथ लेकर चलने की सारे समाज की मानसिकता है। संविधान की व्याख्या भी बदलते परिप्रेक्ष्य में वहाँ के न्यायमूर्ति करते हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इट्ली आदि देश तो एकवंशीय देश हैं लेकिन वहाँ पर धार्मिक भेद हैं, फिर भी सामाजिक एकता में धार्मिक भेद आड़े नहीं आते हैं। इसके कारण राष्ट्र एक शक्ति के रूप में खड़ा होता है। सबका राष्ट्रीय लक्ष्य एक होता है। समाज जब टुकड़ों में बँट जाता है तब उसके आदर्श अलग होते हैं, उसके सामाजिक ध्येय

अलग बनते हैं। राष्ट्रीय एकसूत्रता नहीं रहती हैं। हम को भारत में एक राष्ट्र के रूप में खड़ा रहना है इसलिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य, एक राष्ट्रीय आदर्श के लिए सामाजिक सद्भाव, सामाजिक बंधुता, सामाजिक समरसता इसमें कोई विकल्प नहीं हो सकता। यह प्राप्त करने में जा बाधाएं आएगी उसको हम सभी ने प्रयत्नपूर्वक अहिंसक मार्ग से मानसिक परिवर्तन लाते हुए दूर करना होगा। मानसिक परिवर्तन का मार्ग लंबा होता है। लेकिन यह मार्ग निश्चित परिणाम देने वाला होता है। इसलिए ऐसे मार्ग को सब से नजदीकी मार्ग भी कहा जाता है। हम सभी को इस राह पर चलना होगा।

◆

कार्यकर्ता व्यक्तित्व विकास

- हमारी पार्टी 'कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है।' कार्यकर्ताओं का समुचित विकास ही, स्वस्थ नेतृत्व की गारंटी है।
- सत्तावादी राजनीति कार्यकर्ताओं को परस्पर स्पर्धी बना देती है। इससे कार्यकर्ताओं के संस्कारों का क्षय एवं विचारों का वर्धन होता है। भाजपा का कार्यकर्ता परस्पर सहयोगी है, जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा संगठन बना है, उसे कार्यकर्ताओं की सामूहिकता एवं टीम भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- अतः कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, उदाहरण स्वरूप व्यवहार हो तथा उसे समाजशास्त्र व मनोविज्ञान की समुचित जानकारी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- कार्यकर्ता के विकास में दायित्व के निर्वहन की निर्णायक भूमिका होती है। इसलिये हर कार्यकर्ता के लिये संगठन में काम होना चाहिये तथा हर काम के लिये कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिये।
- पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना की बैठकें कार्यकर्ता की चिन्तन प्रक्रिया एवं निर्णय प्रक्रिया को चालना देती है। अतः हर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिये, इससे कार्यकर्ता में आत्मालोचना का भाव जगता है।
- हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं टीम का हिस्सा हो तथा कुछ न कुछ उसको स्वतंत्र दायित्व हो, इससे उसमें सामूहिकता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास होगा।
- हम 'जनसंगठन' हैं कार्यकर्ता को जनाभिमुख होने के पर्याप्त अवसर होने चाहिये। आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित करना, आंदोलनों को संचालित करना आदि।
- अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। कार्यकर्ता को अध्ययन के लिये प्रेरित करना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना जरूरी है। कार्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था कार्यकर्ता के विकास की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
- जिज्ञासा, सहिष्णुता, सामूहिकता एवं सक्रियता कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास की कुंजी है।

◆

विदेश नीति

विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय हित की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय हित की विषय वस्तु में बदलाव हो सकता है और किसी परिस्थिति विशेष में राष्ट्रीय हित क्या है, उस पर दो राय हो सकती है। हालांकि, विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने स्वयं के हित को आगे बढ़ाना होता है।

हमारा राष्ट्रीय हित हमारी जरूरतों और आकांक्षाओं का कुल योग है। हम 'जीयो और जीने दो' की समृद्ध परंपरा के वाहक हैं और हम जाति या धर्म के आधार पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और भेदभाव के सभी रूपों का विरोध करते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

शीत युद्ध के दौरान हमारा मानना था कि भारत का स्वहित विश्व की दो प्रमुख शक्तियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी एक के साथ दिखने की बजाए गुटनिरपेक्ष रहने में है, लेकिन इसे किसी खास परिस्थिति के लिए ही बेहतर नीति समझा गया, यह कभी भी अविच्छेद्य हठधर्मिता या पंथ नहीं रहा।

1963 में हमने दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर के देशों के साथ संबंधों को प्रभावी बनाने के लिए सुनियोजित प्रयास करने की मांग की। फिर से 1965 में, हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सांस्कृतिक जुड़ाव के महत्व पर बल दिया। हमारा मानना है कि ये संबंध आर्थिक और राजनीतिक समझौतों से कहीं अधिक बाध्यकारी और स्थायी होते हैं और इसलिए हमने जोर देकर कहा कि हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित और मजबूत करने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएं।

1971 के युद्ध से पहले हमने पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना के अत्याचारों की निंदा की और मांग की कि भारत सरकार को स्वतंत्र

बांग्लादेश के लिए विचार करना चाहिए। हम 1971 के युद्ध से पहले पाकिस्तान के साथ भारत के नरम रवैया के खिलाफ और युद्ध के बाद शिमला में बातचीत के दौरान सरकार को बार-बार चेताते रहे। शिमला समझौते के बाद 1972 में ही हमने समझौते को अक्षरशः और भावना से पालन करने में पाकिस्तान की ईमानदारी पर सवाल उठाया था।

हमने लगातार अरब हितो का समर्थन के साथ ही इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की भी मांग की।

हम मानते हैं कि वर्तमान बहुध्रुवीय दुनिया हमारे लिए अपने सामरिक हितों को आगे बढ़ाने के साथ ही समग्र शांति और स्थिरता के लिए विभिन्न देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग और गठ्जोड विकसित करने में सहायक है। इस संदर्भ में हमारी विदेश नीति के पांच स्तंभों को समझना महत्वपूर्ण है।

वर्तमान परिदृश्य

हम मानते हैं कि हमारी विदेश नीति, हमारे भू-राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हितों के साथ सामंजस्य बैठाने वाली और इसी के साथ यह हमारे सांस्कृतिक संबंधों, हमारे सॉफ्ट पावर (योग, भारतीय डायस्पोरा आदि) और आपसी सहयोग तथा शोषण के बजाय एक साथ बढ़ने की इच्छा जैसे मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए।

2015 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी ने विदेश नीति पर एक महत्वपूर्ण संकल्प को अपनाया था। यह हमारी विदेश नीति के पांच स्तंभों को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार हैं– सम्मान अर्थात् गरिमा और प्रतिष्ठा, संवाद - अर्थात् अधिक से अधिक मेलजोल और बातचीत, समृद्धि अर्थात् साझी उन्नति, सुरक्षा अर्थात् क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा और संस्कृति एवं सभ्यता अर्थात् सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत संबंध।

सम्मान - गरिमा और प्रतिष्ठा

संप्रग (यूपीए) के 10 वर्षों के शासन के दौरान, वैश्विक परिदृश्य पर भारत के कद का काफी क्षरण हुआ। उस दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर कई गलतियां सामने आईं। उदाहरण के लिए, शर्म अल शेख, मिस्र में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री सैयद यूसुफ रजा गिलानी द्वारा एक संयुक्त बयान जारी किया गया था। उस बयान में दो सबसे महत्वपूर्ण

कमियां सामने आई थीं। भारत-पाक संबंधों में पाकिस्तान जनित आतंकवाद के उभरने के बाद से पहली बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत-पाक समग्र संवाद को आतंकवाद से अलग किया था। यह उल्लेखनीय है कि भारत में मुंबई हमलों के बाद से भारत का लगातार यह रुख था कि जब तक पाकिस्तान भारत विरोधी आतंकवादी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं कर देता है, तब तक उसके साथ कोई समग्र संवाद संभव नहीं होगा। इस नीति के बिल्कुल उलट जाते हुए संयुक्त बयान में कहा गया, ''दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने स्वीकार किया कि केवल बातचीत ही आगे का रास्ता है। आतंकवाद पर कार्रवाई को समग्र वार्ता प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इसे कोष्ठकों में बंद नहीं किया जाना चाहिए।'' प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, ''भारत पाकिस्तान के साथ लंबित मुद्दों सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।''

उसी बयान में दूसरी बड़ी भूल, भारत-पाक वार्ता में बलूचिस्तान में अलगाववाद के मुद्दे को शामिल करना था। पाक हमेशा से भारत पर बलूचिस्तान में अलगाववाद का समर्थन करने का आरोप मढ़ता आया है, जिसका भारत खंडन करता रहा है। लेकिन संयुक्त बयान में इस मुद्दे का उल्लेख करने से पाकिस्तान को अपने इन आधारहीन आरोपों पर भारत की ओर से स्वीकृति मिलने के रूप में रखने का अवसर मिल गया। इस पृष्ठभूमि में यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस और चीन जैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ हमारे संबंधों को भाजपा सरकार के दौरान जबरदस्त बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी की इन बड़ी शक्तियों के अधिकांश के नेताओं के साथ व्यक्तिगत तालमेल, एक शक्तिशाली परिदृश्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक सिद्ध हुई है। वार्ता की गहराई और सीमा ने मतभेदों को मिटाने, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर हमारी स्थिति की स्वीकार्यता, और समाधान की दिशा में एक साथ काम करने के लिए परिणामकारी संकल्प का एक नया वातावरण तैयार किया है।

हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक प्रमुख आर्थिक ताकत होने और वैश्विक संघर्ष में एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका के लिए, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होने का हकदार है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी

सदस्यता प्राप्त करने की भारत की मांग को हमारी सरकार द्वारा किए गए विभिन्न पहलों के कारण नई रफ्तार मिली है।

संवाद – अधिक से अधिक मेलजोल और बातचीत

संप्रग (यूपीए) शासन के दौरान कई महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारों को नजरअंदाज कर दिया गया था। कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों, प्रशांत छोर के कई देशों और नेपाल, म्यांमार, आदि जैसे पड़ासी देशों के साथ कई दशकों से कोई द्विपक्षीय शिखर बैठक आयोजित नहीं हुई थी। इन देशों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत सफल दौरों को धन्यवाद देना चाहिए कि वैश्विक मंच पर भारत की न्यायपूर्ण स्थिति और गौरव पुनः स्थापित हुई है। इन यात्राओं के दौरान बड़े सामरिक महत्व के कई दीर्घकालिक समझौतों हस्ताक्षर किए गए।

अफ्रीकी देशों के साथ संबंध भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए अक्टूबर 2015 में नई दिल्ली में भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 26 अक्टूबर, 2015 को आयोजित हुए इस चार दिवसीय भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में 54 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें 40 देशों के राज्य और सरकार तथा शक्तिशाली अफ्रीकी संघ के प्रमुख भी शामिल हुए थे।

चीन के विपरीत, अफ्रीका के साथ हमारे संबंध केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। हम 'एक साथ बढ़ने' के साझा भविष्य में विश्वास करते हैं। इसलिए हम अफ्रीका में क्षमता निर्माण, मानव संसाधन विकास और संस्थानों को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, हम चाहते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र अफ्रीका में निवेश करे और उनके विकास की कहानी का एक हिस्सा बने। इसके अलावा, अफ्रीकी देशों में तेल और गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध भंडार हैं, जिसका उन देशों के साथ साझेदारी में भारत द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अफ्रीकी देश कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, स्वच्छता और कानून के शासन की स्थापना जैसे कई मानवीय मुद्दों का सामना कर रहे हैं। भारत लगातार समय-समय पर इन देशों को सहायता प्रदान करता आया है।

चीन के साथ हमारे संबंधों में और अधिक गहराई और मजबूती आई है। हमारे प्रधानमंत्री ने सीमा उल्लंघन और व्यापार घाटे की

चिंताओं सहित चीन के साथ सभी लंबित मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर ठंडे बस्ते में पड़े संघर्ष के मुद्दों को हल करने का एक सुस्पष्ट लेकिन व्यवहारिक रूप से गंभीर प्रयास किया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दिल्ली की अत्यधिक सफल यात्रा और प्रधानमंत्री मोदी की चीन की पारस्परिक यात्रा ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की है।

समृद्धि – साझी उन्नति

चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने, यूरोप और पश्चिमी दुनिया में विकास की कमी और मध्य–पूर्व में निरंतर संघर्ष से वैश्विक आर्थिक स्थिति संकट में है। इस पृष्ठभूमि पर भारत लगातार एक दुर्लभ उज्ज्वल स्थान है। हमने पहले से ही सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, आदि क्षेत्रों में अपनी नेतृत्व की स्थिति प्राप्त कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी की नई पहल, ''मेक इन इंडिया'' भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने पर लक्षित है, जिसमें लागत प्रभावी तरीके से गुणवत्ता विनिर्माण की नई लहर पैदा करने की संभावना है। हाल ही में ताइवान के विनिर्माण क्षेत्र की बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन की महाराष्ट्र में 5 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की नवीनतम घोषणा का इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

हमारा देश दुनिया में सबसे लंबे समुद्र तटों वाले देशों में से एक है, लेकिन हम अभी तक अपनी पूरी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए हैं। बंदरगाहों का विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक विकास कर हम समुद्री अर्थव्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। यह हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति का हिस्सा है जो बड़े लाभांश का भुगतान कर रहा है। जापान ने पहले से ही 35 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और चीन ने 25 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। हमारा विश्वास है कि एक्ट ईस्ट नीति, जिसका प्रशांत छोर के देशों के साथ गठजोड़ एक अभिन्न हिस्सा है, हमारे आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा का प्रमुख तत्व है।

सुरक्षा – क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा

भारत विरोधी गतिविधियों को पाकिस्तान अपनी जमीन पर लगातार सक्रिय रूप से समर्थन दे रहा है। जिसके परिणामस्वरूप सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ के निरंतर प्रयास को हम सभी देख रहे हैं। हमारे हमेशा सतर्क रहने वाले सुरक्षा एजेंसियों और ऐसे मामलों में हमारी सरकार की ठोस पहल का धन्यवाद करना चाहिए

कि देश सभी प्रकार से सुरक्षित है।

भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों के साथ सुरक्षा सहयोग में वृद्धि ने पहले से ही पूर्वी सीमा पर भारत विरोधी तत्वों पर कब्जा करने और ऐसे तत्वों को भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने आधार के रूप में इन देशों के उपयोग को रोकने के मामले में सकारात्मक परिणाम दिखाई है।

चीन के साथ हमारे संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सीमा विवाद सहित कई मुद्दे अभी लंबित हैं। हमने इस बात पर जोर दिया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांतिचित्तता का बने रहना द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए पूर्व अपेक्षित शर्त है। चीन के साथ, हम मेलजोल और व्यावहारिक सहयोग की नीति का पालन करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उसकी बढ़ती आर्थिक और सैन्य ताकत से निपटने के लिए रणनीतियों पर मंथन करना भी जारी रखेंगे।

अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल जैसे मित्र देशों से नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों को लाने और भारत में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित कर नए रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास पर सहयोग करने के दोहरे दृष्टिकोण से अपने सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए भाजपा सरकार ने पहले ही रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की घोषणा की है, जिससे बृहत् रूप से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

संस्कृति एव सभ्यता – सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध

हमारे देश का दुनिया के विभिन्न भागों के साथ कई सदियों से सभ्यतागत संबंध है। ये सांस्कृतिक संबंध पूर्व और सुदूर पूर्व एशिया के देशों, अफ्रीका, मंगोलिया के साथ और मजबूत बनाने की जरूरत है। इन देशों का प्रधानमंत्री मोदी का दौरा इस दिशा में आगे बढ़ाने के हमारे प्रयासों का उदाहरण है। 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने के लिए विश्व भर में जबरदस्त उल्लास, हमारी 'सॉफ्ट पावर में गहरी वैश्विक हित का ही एक उदाहरण है।

संकट के दौरान सहयोग का हाथ बढ़ाना भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। नेपाल में भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित लोगों के बचाव और पुनर्वास के लिए भारत ने मानवीय मिशन में नेतृत्वपरक भूमिका निभाई थी। हमने

अफ्रीकी देशों को रियायती क्रेडिट लाइन दिया है।

विदेशों में बसे भारतीयों की भूमिका

वैश्विक स्तर पर फैली हुई भारतीय डायस्पोरा, जिसे 'प्रतिभा पलायन' के तौर पर देखा जाता था, वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति जैसी साबित हो रही है। ऐसा न केवल उनकी वित्तीय ताकत, जिससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भारत में वापस आती है, बल्कि दुनिया के विभिन्न भागों में उनकी वाणिज्यिक, बौद्धिक और प्रौद्योगिकीय प्रभुत्व के कारण से भी है।

जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और प्रधानमंत्री मोदी दोनों लगातार भारतीय डायस्पोरा के साथ संपर्क में हैं, नियमों को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी शिकायतों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उन्हें सरकार के समग्र विकास के एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। इन कदमों से एनआरआई समुदाय को नई ऊर्जा का एहसास हो रहा है। अपने मूल देश से उनका संबंध मजबूत हो रहा है और निवास वाले देश में उनका कद बढ़ रहा है।

साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय मूल के इन लोगों को संकट के समय तत्काल मदद मुहैया कराई जाए। हमने यूक्रेन से 1000 से अधिक भारतीय छात्रों की वापसी में मदद की। 46 नर्सों सहित इराक से 7000 से अधिक भारतीय कामगारों को बाहर निकाला। लीबिया से हमारे 3000 से अधिक नागरिकों की वापसी और यमन से लगभग 4000 हमारे भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की।

◆

सुशासन : कुछ प्रारंभिक बिंदु

1964 के आरंभ में अपने पत्र स्वराज्य के एक स्तंभ में, सी. आर. राजागोपालाचारी ने लिखा था, ''यदि हम आजादी के माध्यम से लोगों के लिए एक अच्छी, ईमानदार, कुशल सरकार पाने में असमर्थ होते हैं, तो आजादी के लिए किए गए बलिदान अर्थहीन हो जाएंगे।'' उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता, दक्षता, प्रदर्शन और जवाबदेही सुशासन के कुछ महत्वपूर्ण स्तंभों और पहचानों में से हैं।

इसी तरह अपने मौलिक ग्रंथ, 'एकात्म मानववाद' की संकल्पना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय परंपरा में भारत में शासन करने का बुनियादी दृष्टिकोण, कैसे जनकल्याण पर केंद्रित था, का उल्लेख किया है। भारतीय संदर्भ में शासक, हमेशा ही शासन के सकारात्मक लाभों को अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए तत्पर और केंद्रित रहता था।

शास्त्रों में शासन और एक शासक के कर्तव्यों पर आख्यान की चर्चा का संदर्भ देते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बताया है कि राजा दिलीप की व्याख्या करते हुए कालिदास ने रघुवंशम् में कहा है, ''व्यवस्था, सुरक्षा और अपने विषयों की शिक्षा के प्रति जिम्मेदार होने के नाते, वह अपने नागरिकों के वास्तविक पिता थे।''

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भरत का विवरण देते हुए इंगित किया है कि कैसे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार अपने चीजों की व्यवस्था और सुरक्षा करते हुए वे भरत कहलाए। दीनदयाल जी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, ''यह उन्हीं का देश भारत है। यदि इस देश में व्यवस्था और सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली तो भारत नाम ही व्यर्थ है।''

शासन के भारतीय प्रणाली में बेहतर और उत्तरदायी शासन पर हमेशा ही जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए चंदेश्वर चौदहवीं सदी

के प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीतिरत्नाकर के एक उद्धरण में कहते हैं, ''विष्णु राजा की तरह ही सभी विषयों में रहते हैं, –इति सर्वम् विष्णुम्, अर्थात् राजा को अपने विषयों की रक्षा करते हुए, अपने प्रजा की भलाई के लिए काम करते समय अपने विषयों पर ध्यान देना चाहिए और उसका पूजा की तरह सेवा की भावना से निर्वहन करना चाहिए।''

'शुक्र नीति' के अनुसार शासक, उस समय के राजा को 'नर देवा' के रूप में देखा जाता था, और वह तभी तक अपने पद पर बना रह सकता था जब तक कि वह गुणी हो। उसके बुरा बर्ताव करते ही उसे पद से हटा दिया जाता था। महाभारत के शांतिपर्व में शासक के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए कहा गया है, ''शाही आदेश के अनुसार जो व्यक्ति दान नहीं देता है और दूसरों को संरक्षण नहीं देता है, ऐसे लोग अपने ऊपर पाप लेते हैं। उसके बाद उनके हिस्से शोक आता है न कि आनंद।'' यह धार्मिक आचरण है कि आवश्यक सुशासन को जारी रखा जाए। कल्याण और संरक्षण, सुशासन के जरूरी पक्ष थे।

उदाहरण के लिए, तिरुक्कुरल, ''राजा के चार अमोघ निशानः साहस, उदारता, ज्ञान और ऊर्जा'' की बात करते हैं और एक शासक में निम्न तीन चीजों की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए ''परिश्रम, शिक्षा और साहस'' नेतृत्व के ये सभी गुण एक सरकार या शासन मॉडल को सफल बनाने के लिए और आगे भी उसे जारी रखने के लिए आवश्यक हैं। परिश्रम सही नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है, सीखना, संतुलित और स्वीकार्य नीतियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, जिसके आधार पर सुशासन आता है और साहस नवीन नीतियों और शासन के मॉडल की शुरुआत करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित शर्त है। सुशासन, प्रवर्तकों और कार्यान्वयनकर्ता के साहस, उदारता, ज्ञान और जारी रखने, सफल समापन एवं नए विचारों के लिए ऊर्जा के बिना, कार्य नहीं कर सकता।

ऐसे लोग जो हाशिए पर हैं या विकास के फल से वंचित रह गए हैं, उनके समावेशन के लिए नए और गतिशील कदम उठाना भी सुशासन के एक भाव को प्रकट करता है। पिछले दो वर्षों में कई पहल किए गए हैं जिसके जरिये वर्षों से वंचित लोगों तक जरूरी विकास के लाभों को पहुंचाया जा रहा है। शौचालयों के निर्माण, बिजली तक पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से जीवन में

सुधार को सुनिश्चित करना भी सुशासन की मौलिक अभिव्यक्ति है। सुशासन वह है जो जीवन में सफलतापूर्वक सकारात्मक फेरबदल की पहल और नीतियों को शामिल करता है।

शिकायतों के निवारण की आदत संवेदनशीलता के दायरे के भीतर आता है। शिकायतों का निवारण सुशासन की एक अनिवार्य विशेषता है। उत्तरदायित्व के दायरे के भीतर प्रतिपुष्टि और राय आमंत्रित करने की आदत है और उस प्रतिपुष्टि के आधार पर ही काफी हद तक नीतियों का निर्माण करना होता है। प्रतिपुष्टि और नीति निर्माण के बीच एक खुला माध्यम और पुल सुशासन के लिए आवश्यक है।

◆

संगठन एवं सत्ता में समन्वय

किसी भी राजनैतिक दल का लक्ष्य है – जन कल्याण व राष्ट्र की सुरक्षा व सम्मान।

इस हेतु शासन सूत्र हाथ में लेना, निर्वाचन में जीत कर आना, निर्वाचन में जीत हेतु स्थानीय से लेकर जिला, प्रांत, राष्ट्र स्तर तक नेतृत्व विकसित करना, साथ ही जनता तक स्थाई सम्पर्क व उनकी समस्याओं के समाधान व सामाजिक, राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान हेतु कैडर खड़ा करना, यह संगठन का कार्य है। चुनाव में अंतिम संघर्ष बूथ पर होता है। अतः बूथ स्तर तक कैडर खड़ा करना।

हम सब खुद को संगठन का कार्यकर्ता मानते हैं, कितने ही बड़े पद पर क्यों न हों। हमारे संगठन की प्रकृति 'पारिवारिक' है।

कैडर की सक्रियता हेतु लगातार सम्पर्क व कार्यक्रम। कैडर का प्रभाव निर्माण होने हेतु जन प्रतिनिधियों द्वारा उसे ताकत देना। उसके Feedback को महत्व देना, उसे केन्द्र बिन्दु बनाना। यहीं से समन्वय का प्रयास प्रारम्भ होता है।

विचार – संगठन – सरकार – लोक कल्याण

लोक कल्याण सरकार के द्वारा, सरकार संगठन के द्वारा तथा संगठन विचारों से अनुप्राणित होकर। सरकार भी दल की विचारधारा व घोषणा पत्र के प्रति जवाबदेह होती है।

संसदीय लोकतंत्र में सरकार यानि चुने हुए जनप्रतिनिधियों के बहुमत की, यानि दल की सरकार होती है। जब सरकार कहा जाता है तो केन्द्र व प्रदेश की सरकार ही ध्यान में रहती है। वैसे तो पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, टाउन एरिया, नगरपालिका, नगर निगम आदि भी स्थानीय सरकारें ही हैं। लोकसभा एवं विधानसभा देश व प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। स्थानीय शासन व्यक्ति की

रोजमर्रा की आवश्यकताओं (मूलभूत सुविधाओं) की पूर्ति की ओर अधिक ध्यान देता है।

सरकार के निर्णयों में Feedback का बड़ा महत्व है। इसी तरह कार्यान्वयन में जन सहभागिता का महत्व है।

ये दोनों ही बातें संगठन के माध्यम से आसानी से सम्भव हैं। संगठन व सरकार एक दूसरे के पूरक हैं न कि प्रतिद्वंद्वी। पूरक रहने से दोनों पुष्ट होते है। प्रतिद्वंद्वी होने पर दोनों समस्याग्रस्त एवं कमजोर हो जाते हैं।

इनमें समन्वय के लिए आवश्यक है अपेक्षित एवं परस्पर संवाद तथा परस्पर संबंध :–

संवाद : संगठन के तथा सरकार के पदाधिकारियों में संवाद। यह संवाद सामूहिक व औपचारिक भी हो सकता है तथा अनौपचारिक भी। अनौपचारिक संवाद ज्यादा प्रभावी होता है। संवाद से परस्पर पूरकता एवं परस्परावलंबिता का विकास होता है।

संबंध – परस्परानुकूल संबंधों का विकास करना चाहिये।

(दोनों ओर से पहल, संबंध निरंतर बने रहें। किसी 1–2 छोटी बातों पर संवाद छूटे नहीं तथा संबंध टूटे नहीं।)

पूर्वाग्रह से बचें, स्थाई पूर्वाग्रह तो कतई न हो, आपस में विश्वास होना चाहिये, कान के कच्चे नहीं होना चाहिये लेकिन अति विश्वासी (आस–पास रहने वालों के संबंध में) भी नहीं होना। सबकी पूरी बात सुनकर विवेक से निर्णय करना चाहिये। जो बात कान पर आयी है उसे Counter Check कर लेना चाहिये।

संगठन के कार्यकर्ता का फोन सुनने – उसी दिन उत्तर देने, मिलने आने पर समय देने, स्टाफ में एक संगठन समझने वाला कार्यकर्ता नियुक्त होने पर अच्छा रहता है। अपने निजी स्टाफ का संगठन संबंधित प्रशिक्षण, सहयोग – मंत्रियों के कार्यालय पर समय देना, संगठन द्वारा संगठन के कार्यकर्ताओं के कार्य को पूर्ण कराना। समय समय पर जिले में संगठन की योजना से प्रवास करने से संवाद एवं सम्बंधों में सहजता रहती है।

जनप्रतिनिधि निर्णय लेते समय संगठन के प्रमुख लोगों को विश्वास में लें (विकास की योजनाएं, कोई च्तवरमबज, सांसद–विधायक निधि आदि।) संगठन भी निर्णय लेते समय जन प्रतिनिधियों का भरोसे में लें। विश्वास बढाने में जानकारियों का आदान–प्रदान (Sharing)

महत्वपूर्ण कड़ी है।

जन प्रतिनिधि को दोबारा भी चुनकर आना होता है। संगठन प्रतिकूल हो गया तो पुनः टिकिट मिलने में भी समस्या तथा सबको काम में लगाने में भी समस्या। एक बड़ा वर्ग विचार के आधार पर कार्य करता है। किन्तु हर एक का मन इतना बडा हो यह आवश्यक नहीं। 5 वर्षो में जन प्रतिनिधि का व्यवहार, सोच, शैली, क्या रही, इसी आधार पर जनता व कार्यकर्ता सहयोगी होते हैं।

कई बार जन प्रतिनिधि को यह भ्रम रहता है कि 5 वर्ष मैंने बहुत कार्य किया है, अपने लोग खड़े किए है। संगठन की ताकत का अहसास नहीं होता है। संगठन की ताकत संख्या में भी होती है, उसका नैतिक बल भी होता है। किसी भी विषय का वातावरण निर्माण करने में संगठन के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

समन्वय व्यवस्था भी है और प्रवृत्ति भी।

मन में सकारात्मक सोच रखते हुए एक दूसरे का सहयोग लेने व देने की प्रवृत्ति रहे समन्वय के विभिन्न स्तर हैं। श्रेणी के अनुसार नियमित बैठने का क्रम बनाना चाहिये –

मुख्यमंत्री – मंत्रीमंडल – विधायक
सांसद –विधायक – स्थानीय निकाय
सांसद – विधायक – स्थानीय प्रशासन
सांसद – विधायक – स्थानीय संगठन
सांसद – विधायक – अन्य वैचारिक संगठन
स्थानीय संगठन – वैचारिक संगठन

जिला – मंडल – विधानसभा की टोली – निचली इकाई का कार्यकर्ता आपस की असहमतियों या कमियों को लम्बा नहीं खिंचने देना चाहिये। यथासमय शीघ्र समाधान की ओर जाना ठीक रहता है। समय सब ठीक कर देगा, यह युक्ति हर जगह लागू नहीं हो सकती। इसमें से समस्या समाधान के दायित्व से भागने का भाव परिलक्षित होता है।

कठिनाइयां –

मन में ही समन्वय का भाव नहीं बन पाता,
जल्दी प्रभावित होने का स्वभाव,
जल्दी टिप्पणी करने का स्वभाव,

अपने को ही ठीक समझना (I am always right) वास्तव में I may be wrong का भाव भी रहना चाहिये।

Ego की टकराहट

व्यक्तियों को लेकर Strong Liking/Disliking

बोलने की शैली (मै तो 'स्पष्ट' कहता हूं, दूसरे का 'स्पष्ट' अच्छा नहीं लगता)

सभी सूचनाएं अपनी ही जेब में रखना।

संगठन व सरकार, समन्वय (मेल जोल) के साथ चलते है तो कार्य भी ठीक चलता है, कार्य करने में आनंद भी आता हैं, लक्ष्य पूर्ति में सहायता मिलती है, जिससे मन का समाधान होता है। मन के समाधान से सर्व दूर प्रसन्नता का वातावरण बनता है, सकारात्मकता रहती है तथा सभी की दिशा व गति ठीक रहती है।

छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता,
टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।
लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा?

नोट : उदाहरण, कथानक आदि स्थानीय आवश्यकता के साथ जोड़े जा सकते हैं।

◆

हमारी कार्यपद्धति

कार्यपद्धति हमारी विचारधारा की परिचायक है। कार्यपद्धति हमारे संगठन को सन्नद्ध और सशक्त बनाने की एक सुविचारित प्रक्रिया है।

विचारधारा के क्रियान्वयन का एक साधन है हमारी कार्यपद्धति। अगर कार्यपद्धति में कुछ कमियां रहती हैं, कार्यपद्धति अपनाने में हमारी कुछ भूल होती है तो उसका परिणाम हमारी विचारधारा के प्रभाव पर भी होता है। इसलिए हमारी कार्यपद्धति हमारी कालजयी विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने की वाहक है।

कार्यपद्धति के दो अंग :

क. सांगठनिक व्यवहार-पद्धति

ख. व्यक्तिगत व्यवहार-पद्धति

सांगठनिक और व्यक्तिगत पद्धति का स्वाभाविक उद्देश्य है, संगठन को ताकत देना, बलशाली करना।

विचारधारा संगठन का उद्देश्य है, हमारी प्रेरणा भी है, मगर एक व्यापक, उच्चतर मिशन के लिए हम काम करते हैं तो वह मुख्यतः संगठन के लिए और संगठन के सहारे करते हैं। इसलिए सांगठनिक व्यवहार पद्धति अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

व्यवहार पद्धति के मुख्य अंग निम्नानुसार है-

1. मनुष्यों का संगठन -स्नेह और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य। जो जुड़ता है वह जुड़ा रहे इसके लिए करणीय प्रयास। हर सदस्य को कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को संगठन का सक्रिय कार्यकता बनाना, यह इन प्रयासों की दिशा है।

इस प्रयास में हमें सभी के प्रति स्वीकार का दृष्टिकोण रखते हुए उनके अंदर कार्य की प्रेरणा विशुद्ध रूप में सजग रहे और उसी विचारधारा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार रहे, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा।

एक कार्यकर्ता के नाते हमारी सोच और हमारा आचरण कैसा हो ?

- सहज उपलब्धता, सादगी, निर्भीकता, अनुशासित आचरण, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता समयानुशासन, वाक्कुशल
- परनिन्दा, आत्मस्तुति, व्यक्तिगत दुराग्रह, पूर्वाग्रह से बचना
- पद नहीं, दायित्व का भाव
- पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, नए का स्वागत
- कथनी और करनी में सामंजस्य
- सफलता और श्रेय सबको, असफलता का दायित्व अपने को
- स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नम्र
- ज्यादा बोलने व चेहरा देखकर बोलने से बचना
- अपनी ही न सुनाएं, दूसरों को भी बोलने दें और उन्हें भी सुनें

2. परस्परता :

एक दूसरे के सहारे ही संगठन आगे बढ़ता है। इसलिए मधुर परस्पर संबंध संगठन की पूर्वावश्यकता है। दूसरे के प्रति विश्वास, निरंतर और खुलकर संवाद और हमें एक-दूसरे की सहभागिता मूल्यवान है यह धारणा, यह सब परस्परता के लिए अति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा राजनीति में हमेशा हावी होती है, मगर परस्परता के माध्यम से हम प्रतिस्पर्द्धा की दाहकता कम कर सकते हैं। स्नेह, सद्भावना और सहयोग परस्परता के मूलाधार हैं।

3. सामूहिकता :

संगठन के मजबूत नींव का दूसरा नाम है, सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब है एक समूह के रूप में हमारे क्रियाकलापों के क्रियान्वयन का विचार। सामूहिकता का सूत्र है "सबको साथ लेकर" यानि संगठन के सभी को सहभागिता का अवसर देते हुए। संभवतः हर काम के लिए अलग कार्यकर्ता और हर किसी कार्यकर्ता के लिए एक विशिष्ट कार्य, यह दृष्टिकोण हमें रखना होगा। सामूहिकता का आग्रह हमारे व्यवहार से झलके। "मत अनेक - निर्णय एक" यह हमारे सामूहिकता का सार है।

4. संवाद :

- मतभेदों के बावजूद, संवाद मतभेदों से बचाता है।
- अनेक मतों के बावजूद एक मत विकसित करने में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है

- ऊपर की और नीचे की ओर से बराबर के स्तर पर सामान रूप से संवाद
- संवाद औपचारिक निर्णय लेने में सहायक होता है
- संवादहीनता अनेक बार भ्रम, अविश्वास व दूरियां बढ़ाता है
- अस्तु, समस्याओं का समाधान संवाद से, संवाददाता से नहीं
- वार्तालाप, बैठकें, पत्राचार, गोष्ठियां आदि संवाद के माध्यम हैं

5. संपर्क :

- नियमित कार्यालय आना
- नियमित व नियोजित प्रवासी कार्यकर्ताओं की योजन व व्यवस्था
- कार्य के लिए संपर्क के साथ-साथ अनौपचारिक एवं पारिवारिक संपर्क की आवश्यकता
- प्रवास एवं बैठकें संपर्क के साधन
- प्रभावी व्यक्तित्व तथा राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान रखने वाला प्रवासी कार्यकर्ता ही समाज में जोड़ सकता है

6. अनुशासन :

- अनुशासन का उद्देश्य कार्यकर्ता को संगठन से अलग करना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य उसे संभालना है
- अनुशासनहीनता को रोकने के लिए दल के संविधान में प्रदत्त नियमों का पालन।
- स्वानुशासन का प्रशिक्षण, पालन और सम्मान।

कार्यपद्धति के उपकरण

1.कार्यक्रम :

- संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक
- सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा
- आम आदमी की आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संघर्ष
- समाज के स्वयंसेवी संगठनों का गठन और उनमें भागीदारी
- गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
- ऊपर की इकाई द्वारा जिलाधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
- अपनी इकाई क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन
- धरना, प्रदर्शन आदि प्रजातांत्रिक एवं अहिंसात्मक आंदोलन
- सत्तापक्ष एवं विपक्ष की भूमिका के अनुसार कार्यक्रम
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय निर्वाचनों के लिए चुनाव प्रबंधन
- कार्यक्रमों में कार्य विभाजन, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद समीक्षा और आवश्यकतानुसार सुधार।

2. बैठकें :

कार्यसमिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का सकारात्मक वातावरण बना रहे, इस बारे में व्यवहार की आवश्यक सावधानियां रखना, बैठक की पूर्व तैयारी, बैठक में लिए गए विषयों को निर्णयों तक पहुंचाना। पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यतः कम से कम निम्नलिखित अवधि में होगी-

- राष्ट्रीय परिषद् तथा प्रदेश परिषद - वर्ष में एक बार
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी - तीन महीने में एक बार
- क्षेत्रीय समिति, जिला समिति, मंडल समिति - दो महीने में एक बार
- स्थानीय समिति - एक महीने में एक बार

बैठकों में सादगी हो, समय निर्धारित हो, विषय तय हो, बैठक लेने वाले के नाम व बैठक में भाग लेने वालों का स्तर तय हो।

कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र

- संगठन के स्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य - सर्वग्राही बनाना
- प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व में सभी वर्गों को योग्य स्थान देना
- सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों, मीडिया आदि से सतत संपर्क व संवाद
- मीडिया से संपर्क आवश्यक किंतु मात्र छपने के लिए मीडिया के हाथों में खिलाना न बनें
- कार्यकर्ता का स्थान कर्मचारी और नेता का स्थान मैनेजर न ले
- प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और कार्य के लिए कार्यकर्ता की व्यवस्था
- हमारे कार्यो मे न धन का अभाव रहे और न धन का प्रभाव
- संगठन में पसीना और पैसे में संतुलन रखा जाए
- वैचारिक एवं सांगठनिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन
- संगठन की गतिविधियों में लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण सर्वानुमति के लिए प्रयास

- प्रत्येक बूथ में जाना, प्रत्येक गली में घूमना, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देना तथा प्रत्येक मतदाता से बात करना
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय चुनावों के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था
- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन
- प्रत्याशी चयन के पूर्व व्यापक विचार – विमर्श किंतु प्रत्याशी की घोषणा के बाद विजय हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास करना
- संगठन तथा सरकार में "एक व्यक्ति एक पद" के सिद्धांत का यथासंभव पालन

◆

वर्ग गीत

अरूण गगन पर महाप्रगति का, अब फिर मंगल गान उठा।
करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिन्दुस्थान उठा।।
सौरभ से भर गयी दिशायें, अब धरती मुसकाती है,
कण–कण गाता गीत गगन की, सीमायें दुहराती हैं,
मंगल गान सुनाता सागर, गीत दिशायें गाती हैं,
मुक्त गगन में राष्ट्र पताका, लहर लहर लहराती है,
तरूण रक्त अब लगा खौलने, हृदयों में तूफान उठा।
करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिन्दुस्थान उठा।। 1 ।।

रामेश्वर का जल अंजलि में, काश्मीर की सुन्दरता,
काम रूप की धूलि द्वारिका, की पावन प्यारी ममता,
बंग देश की भक्ति भावना, महाराष्ट्र की तन्मयता,
शौर्य पंचनद विजयी विश्व में, राजस्थानी प्रबल क्षमता,
केन्द्रित कर निज प्रखर तेज को, फिर भारत बलवान उठा।
करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिन्दुस्थान उठा ।। 2 ।।

बिन्दु बिन्दु जल मिलकर बनती, प्रलयंकर जल की धारा,
कण–कण भू–रज मिल कर करते, अंधकारमय जग सारा,
कोटि–कोटि हम उठें उठायें, भारतीयता का नारा,
बढ़ें विश्व के बढ़ते कदमों ने फिर हमको ललकारा,
उठे देश के कण–कण से फिर जन–जन को आह्वान उठा।
करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिन्दुस्थान उठा।।
अरूण गगन पर महाप्रगति का, अब फिर मंगल गान उठा।
करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिन्दुस्थान उठा।। 3 ।।